छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010

मान. डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

मंत्रालय
रायपुर छत्तीसगढ़
फोन (अ.) 0771- 2221000-01
फैक्स : 0771-2221306
फोन (यर) 0771-2331000-01

संदेश

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन आयोग के सार्थक पहल एवं रचनात्मक कार्यों का विवरण हैं । राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने गठन के उद्देश्य के प्रति सजग रहते हुए अपनी सकारात्मक भूमिका के रूप में शासन के साथ अपनी रचनात्मक समन्वयता बनाते हुए पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ नवीन कार्यक्रमों को सफल बनाने में सदैव सक्रिय रहेगा ।

प्रतिवेदन के सफल प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ ।

डा. रमन सिंह

निवास : सी-3, फारेस्ट कालोनी, रायपुर
राजातालाब, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (नि.) 2331032, 2331033
कार्यालय : 4080906, 2221106

केदार कश्यप
मंत्री
छ.ग. शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, विकास, विभाग
एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है, कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन में विभाग द्वारा की जा रही जाति सत्यापन की प्रक्रिया एवं क्रिमीलेयर के मापदण्डों को सरलतम ढंग से समावेश किया गया है, साथ ही विभागीय योजनाओं को पिछड़े वर्ग तक पहुंचाने का अभिनव प्रयास है ।

आयोग अपने वार्षिक कार्य कलापों का लेखा प्रस्तुत करने जा रहा है । यह प्रतिवेदन आयोग के क्रियाकलापों का आईना साबित होगा ।

इन्हीं शुभकामनाओं सहित....

(केदार कश्यप)

महेश गागड़ा

संसदीय सचिव

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छत्तीसगढ़

मंत्रालय: कक्ष क्र. 350, डी.के.एस. भवन,
निवास मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : D-7, शंकर नगर, रायपुर
: 0771-4025526 (कार्या.)
: 0771-4042205 (नि.)

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर द्वारा तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका का प्रकाशन किये जाने पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं ।

मैं आशा करता हूं कि आयोग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के हित में किये जा रहे कार्यों की जानकारी आम जन को प्राप्त होगी जो उनके लिये सार्थक सिद्ध होगी।

(महेश गागड़ा)

आर.पी. मंडल (आई.ए.एस.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अजा. एवं अजजा.विकासविभाग

फोन : (कार्या) : 0771-4080261
2221328
डी.के. भवन, मंत्रालय, कमरा नं.- 261
रायपुर- 492 001, छत्तीसगढ़

संदेश

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने जा रहा है ।

वार्षिक प्रतिवेदन आयोग के क्रियाकलापों का दर्पण तथा आयोग के प्रगति का सोपान है ।

प्रतिवेदन में समाहित विषय-वस्तु पिछड़ा वर्ग बाहुल्य छ.ग. राज्य में पिछड़ें वर्गों के कल्याण एवं हितसंवर्धन की दिशा में सार्थक प्रयास होगा ।इन्हीं आशाओं के साथ छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिये हार्दिक शुभकामनाएं ।

आर. पी. मण्डल

डॉ. बी.एस. अनंत

भा.प्र.से.

आयुक्त

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

पं. र.वि.वि. परिसर, छ.ग. रायपुर- 492010

दूरभाष : 0771-2263708 (का.)2262558 (फै.)

E-mail : ctd.cg@nic.in

संदेश

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास हेतू अपनी सक्रिया भूमिका निर्वहन करते हुए तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन कर रहा है ।

आयोग पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं को प्रतिवेदन में प्रकाशित कर जन-जन तक लाभ पहुँचाने एवं पिछड़े वर्ग में जागृति पैदा करने हेतू प्रयासरत है ।

छ.ग.राज्य में पिछड़े वर्ग की जातियों की विविधता एवं बहुलता के साथ आयोग प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है ।

प्रतिवेदन के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

(डॉ0 बी0 एस0 अनंत)

डॉ. अनिल चौधरी

उप सचिव

अजा. एवं अजजा.विकासविभाग

डी.के.एस. भवन, मंत्रालय

रायपुर 492001, छत्तीसगढ़

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,द्वारा प्रकाशित किये जा रहे वार्षिक प्रतिवेदन हेतू हार्दिक शुभकामनाएं सम्प्रेषित है । राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सजग प्रहरी के रुप में अपनी उन्नायक भूमिका का निर्वहन करे।

शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु अनेकानेक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित की जा रही है जिसका समुचित प्रचार-प्रसार इस वर्ग के जन-जन तक पहुंचे इस हेतू इस प्रतिवेदन में प्रकाशित की जा रही प्रकाश्य सामग्री का स्वागत है ।

आयोग का प्रमुख दायित्व "अन्य पिछड़े वर्ग समाज का अधिकतम कल्याण" इस ध्येय की सर्वांगीण सम्पूर्ति ही हमारा लक्ष्य हो-

इन्ही शुभकामनाओं के साथ...

डॉ. अनिल चौधरी

एल.आर. कुर्रे
सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

कार्यालय
छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
कलेक्ट्रेट के पीछे,
सी-21, रविनगर,रायपुर-492001
दूरभाष : 0771- 2420352

प्राक्कथन

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का यह तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन आयोग की विविध गतिविधियों का प्रतिबिम्ब हैं । आयोग का यह वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से सात भागों में विभाजित है ।

आयोग द्वारा क्रियान्वित कार्यों के साथ-साथ ही इस प्रतिवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित अनेक ऐसे बहु-उपयोगी तथ्यों का संकलन किया गया है कि 'वार्षिक प्रतिवेदन' एक महत्वपूर्ण प्रकाशन सामग्री बन सके ।

अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं का समाधान, शासन की महत्वपूर्ण योजनाएँ, क्रीमीलेयर की जानकारी, जाति सत्यापन की प्रक्रिया राज्य शासन में घोषित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों का विवरण, अन्य पिछड़ा वर्ग के अनमोल रत्न, राज्य के प्रमुख न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका प्रमुखों के दूरभाष नं. एवं पते का विवरण देकर इस प्रतिवेदन को बहु-उपयोगी बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है ।

छ.ग. शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रति संकल्पित भाव से किये जा रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के जन-जन तक प्रसारण हेतू राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कटिबद्ध है । आयोग का यह तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन अन्य पिछड़े वर्ग के जनाकांक्षाओं के समुन्नयन विस्तार हेतू सादर प्रस्तुत है-

भवदीय

एल.आर. कुर्रे

छत्तीसगढ़
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर

तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010

21, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन : 0771 - 2420352

: प्रस्तावना :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में शैक्षणिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिये शासकीय नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की दशा में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया इसके परिपालन हेतु भारत शासन ने सर्वप्रथम मार्च 1953 में काका कालेलकर कमीशन की नियुक्ति की। दो वर्ष के परिश्रम के पश्चात् मार्च 1955 में काका कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत शासन को प्रस्तुत की। जिस पर सदन में समय-समय पर बहस होती रही किन्तु पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर कोई विचार नहीं हुआ। 31 दिसम्बर 1978 को पुनः मण्डल कमीशन की नियुक्ति की गई। मण्डल कमीशन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मण्डल कमीशन के प्रतिवेदन पर अगस्त 1990 तक कोई विचार नहीं किया गया। वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा 08 अगस्त 1990 को की और 13 अगस्त 1990 को विधिवत आदेश जारी किया गया। इस आदेश के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन हुए और दिल्ली की श्रीमती इंदिरा साहने एवं अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की। केन्द्र सरकार भंग होने के बाद 25 सितम्बर 1991 को मूल आदेश में संशोधन करते हुए पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण एवं आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग एवं अन्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया।

इंदिरा साहने एवं अन्य के अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.12.1999 को आदेश पारित किया। जिसके तहत 10 प्रतिशत आर्थिक आधार आरक्षण (संविधान में प्रावधान न होने पर) को निरस्त करते हुए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक रखे जाने के निर्देश के साथ पिछड़े वर्गों को आरक्षण की प्राथमिकता दिया गया एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया की आर.एन. प्रसाद कमेटी द्वारा सम्पन्न वर्ग की पहचान बनायी जाए, तथा यह भी निर्देश दिया की पिछड़ा वर्ग के सतत् पहचान एवं खोज-बीन तथा निष्कासन की कार्यवाही वैज्ञानिक आधार पर होती रहे इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार अपने यहां स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करें इसके परिपालन में मध्यप्रदेश पुर्नगठन निमय 2000 की धारा 79 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को 14 प्रतिशत आरक्षण वर्तमान में प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन :-

छत्तीसगढ़ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्वरुप देने के लिए 02 दिसम्बर 2002 को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जनवरी 2007 में किया गया जिसमें माननीय नारायण चंदेल आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किये तथा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, विभाग को आयोग में शासकीय सदस्य पदस्थ किया गया। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग के नाम से अधिनियम के अधीन प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग तथा सौंपे गये कार्यों का पालन करने हेतु शासकीय एवं अशासकीय सदस्य जिनमें अध्यक्ष शामिल है नियुक्त किये गये। 22 दिसम्बर 1983 को महाजन आयोग ने तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के समक्ष 82 वर्ग/जाति/समूह को पिछड़ा वर्ग के रुप में मान्यता प्रदान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस सूची में कतिपय संशोधन करते हुए 05. अप्रैल 1997 को पिछड़ा वर्ग जाति/उपजाति/वर्ग समूह की संशोधित सूची प्रकाशित की गयी। जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ में पिछड़ें वर्गों की आधारभूत सूची मानकर अपनी कार्यवाही कायम की।

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर के आदेश क्रमांक 413/1560/07/25-2/आ.जा.वि. शासन के आदेश द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 अध्याय दो की कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **श्री नारायण चंदेल,** जांजगीर-चाम्पा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 23.01.2007 को आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रुप में कार्य भार ग्रहण किया।

प्रथम आयोग में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल

क्र.	पद	नाम	वर्ष	पद ग्रहण दिनांक	त्यागपत्र स्वीकृति दिनांक
1.	मान. अध्यक्ष	श्री नारायण चंदेल	2007-08	23.01.07	30.10.08
2.	मान. सदस्य	श्री नंदकुमार साहू	2008-09	10.03.08	31.10.08
	-''-	डॉ. लोचन पटेल	2007-08	14.12.07	24.12.08
	-''-	डॉ. गणेश सिंह कौशिक	2008-09	03.03.08	24.12.08
	-''-	डॉ. सोमनाथ यादव	2008-09	10.03.08	24.12.08
	-''-	डॉ. देवेन्द्र जायसवाल	2008-09	10.03.08	24.12.08
	-''-	डॉ. प्रहलाद रजक	2008-09	11.03.08	24.12.08

अनुक्रमणिका

क्र.	अध्याय	पृ.क्र.
	प्रस्तावना -	10-10
01.	पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन	13-13
02.	पिछड़ा वर्ग आयोग की आवश्यकता क्यों ?	14-14
03.	अधिनियम की धारा 9 (घ) के तहत प्रदेश की जातियों को सूची में शामिल करने हेतु आयोग की अनुशंसाएं 1. गोसाई 2. गुरिया 3. मौवार 4. राजभर 5. चंदनाहू/चन्नाहू	15-20
04.	राज्य शासन के अनुसूची में शामिल पिछड़ा वर्ग के जातियों की सूची ✡ जाति संबंधी प्राप्त आवेदनों की सूची A - छत्तीसगढ़ के गठन पश्चात् पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की सूची B - पिछड़े वर्ग की अनुसूची में शामिल किये जाने अनुसंधान किये जा रहे जातियों की सूची	21-35
05.	क्रीमीलेयर बाबत् शासन के निर्देश ✡ अन्य पिछड़े वर्गो (OBC) के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र ''क्रीमीलेयर'' के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में संशोधन	36-44
06.	जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शासन के निर्देश	45-46
07.	पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में शामिल होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।	47-48
08.	छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं -	49-56
09.	छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाएं -	57-64
10.	जाति सत्यापन हेतु क्या करें ?	65-70

11.	आयोग की संरचना एवं बजट	71-72
12.	अन्य पिछड़ा वर्ग से छत्तीसगढ़ के अनमोल रत्न	73-77
13.	छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के प्रमुख पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के नाम, पते एवं दूरभाष नम्बर। (1) राज भवन - राज्यपाल सचिवालय, (2) विधानसभा का सचिवालय, (3) छ.ग. के मंत्रिमंडल, (4) छ.ग. के लोकसभा सदस्य, (5) छ.ग. के विधानसभा सदस्य (6) छ.ग. शासन के प्रमुख विभाग	78-88

अध्याय - 01

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

19 अगस्त, 1980 को केन्द्र सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग की दशा का अध्ययन करने के लिए दौरा किया था। आयोग के अध्यक्ष बी.पी. मंडल ने प्रदेश की अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की दशा अत्यन्त दयनीय है। देश की अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने– अपने प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा कल्याण का कार्य काफी पहले प्रारंभ कर दिया है, किन्तु प्रदेश में अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने आश्वासन दिया कि मध्यप्रदेश में भी पिछड़े वर्ग की दशा सुधारने हेतु तत्काल कदम उठाये जायेंगे। 1980 में ही विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के उपाय सुझाने हेतु एक समिति श्री रामजी महाजन, विधायक की अध्यक्षता में गठित करने की घोषणा की गई। 5 सितम्बर 1980 को समिति के स्थान पर आयोग के गठन का आदेश दिया गया। आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री रामजी महाजन जी थे। उनके अतिरिक्त नौ सदस्य भी बनाये गये।

1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य अस्तित्व में आया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह राज्य मध्यप्रदेश को बांटकर बनाया गया। श्री अजीत जोगी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। नवम्बर 2004 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव हुए। जिसमें भाजपा को विजयश्री मिली और मान. डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। अन्य पिछड़ा वर्ग के हितैषी डॉ. रमन सिंह ने अपने शासन काल के चौथे वर्ष जनवरी 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया।

नव सृजित छत्तीसगढ़ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के पीछे भाजपा शासित इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की भावना अन्य पिछड़ा वर्ग का उत्थान और कल्याण करने की थी। वर्तमान में आयोग इन्हीं उद्देश्यों को लेकर निरन्तर कार्यरत है। आयोग के गठन के बाद श्री नारायण चंदेल आयोग के प्रथम अध्यक्ष और श्री लोचन पटेल, सदस्य बनाए गए। 28 फरवरी 2008 को एक और शासनादेश जारी कर पांच और नवीन सदस्य बनाए गए। इनमें डॉ. गणेश सिंह कौशिक, श्री नन्द कुमार साहू, श्री देवेन्द्र जायसवाल, डॉ. सोमनाथ यादव और श्री प्रहलाद रजक, शामिल थे। इस तरह आयोग में अध्यक्ष सहित सात सदस्य बनाए गए।

अध्याय - 02

पिछड़ा वर्ग आयोग की आवश्यकता क्यों ?

सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उपेक्षित और विकास की दौड़ में पिछड़ गये कमजोर लोगों के उत्थान तथा न्यायसम्मत, समतामूलक और बंधुत्वपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में विशेष प्रावधान किए। इसी कड़ी में कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनके उत्थान तथा कल्याण के लिए जरूरी व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 340 (1) के तहत यह व्यवस्था की गई कि पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया जाए तथा राष्ट्रपति आयोग गठित करें और इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कदम उठाए जाएं।

इसी अनुच्छेद के तहत 21 जनवरी 1983 को प्रसिद्ध समाज सेवक काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने पूरे देश की लगभग 2300 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए सूची तैयार की। इस सिलसिले में अनेक राज्य सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इस वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाए। इस प्रकार उन्हें शिक्षा में सुविधाएं और नौकरियों में आरक्षण देने की शुरूआत हुई।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के शैक्षणिक उत्थान के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे मेडिकल व इन्जीनियरिंग कालेजों आदि में सीटों के आरक्षण एवं शासकीय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की गई है। इस वर्ग के पारम्परिक व्यवसाय व धंधों को पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक उपाय भी किये गये हैं। वैसे यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शोषण का शिकार रहा है तथा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन से अभी भी ग्रस्त है।

प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिले तथा उसका उत्थान हो और वह भी राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो सके इन्हीं उद्देश्य को लेकर इस आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने जनवरी 2007 में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान का एक और मार्ग प्रशस्त किया।

अध्याय - 03

अधिनियम की धारा 9 (घ) के तहत प्रदेश की जातियों को सूची में शामिल करने हेतु आयोग की अनुशंसाएँ

1. गोसाई जाति को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के उपरांत आदिम जाति तथा अनु. जाति अनुसांधानं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा गोसाई जाति के आवेदन पत्र की नस्ती छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौपी गई थी, जिसमें गोसाई जाति के आसनडीह जिला सरगुजा ब्रजेन्द्र गिरी द्वारा गोसाई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का आवेदन पत्र था जिसमें निवेदन किया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूची के अनुक्रमांक 27 पर गुसाई, गोस्वामी जाति के अतंर्गत गुसाई कोई जाति नहीं है उसके स्थान पर गोसाई जाति शामिल की जानी चाहिए।

उपरोक्त आवेदन पत्र का आयोग ने अपने स्तर से परीक्षण किया तथा यह पाया गया कि गोसाई जाति के लोग भिक्षावृत्ति एवं मंदिरो में मंहती करने का कार्य करते हैं। उनको शिक्षा में विशेष रूचि नहीं है क्योंकि ये लोग मंहताई पैतृक व्यवसाय के रूप में अपना लेते हैं जो सरल व केवल भाषा के ज्ञान के आधार पर ही की जा सकती है। इस जाति के लोग शाकाहार ग्रहण करते हैं इनके विचार सात्विक होते हैं। रीति रिवाज, रहन सहन, व विभिन्न संस्कार गोस्वामी जाति के समान ही होते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर भी वे पिछड़े हुए है। पर्दा प्रथा न होते हुए भी इनकी स्त्रियॉ श्वसुर व जेठ इत्यादि के समक्ष नहीं जाती हैं तथा ये स्त्रियॉ भी पूजा पाठ के कार्य में परिश्रम करती है स्त्रियों के साथ ही बच्चे भी शामिल रहते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस जाति के लोग वाड्रफनगर (सरगुजा) एवं बस्तर इत्यादि में निवासरत हैं।

मध्यप्रदेश राज्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सूची में तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 27 को संशोधित करते हुए गुसाई, गोस्वामी जाति को शामिल किया गया है। केन्द्र द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 26 पर गोसाई जाति को गुसाई के उपरांत शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में गोसाई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्र. 27 में ही गुसाई के उपरांत शामिल किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

चूंकि गोसाई जाति का शैक्षिक व सामाजिक स्तर पिछड़ा हुआ है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गोसाई जाति को अनुक्रमांक 27 पर संशोधित कर गुसाई, गोस्वामी के उपरांत गोसाई जाति को शामिल करने की अनुशंसा करता है।

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

2. गुरिया जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

श्री ललित कुमार साहू ग्राम व पोस्ट नवागढ़, जिला–महासमुंद के द्वारा गुरिया जाति को छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ जिस पर आयोग की पीठ ने सहृदयता पूर्वक विचार करते हुए इनके निवास एवं जिलों का भ्रमण किया। दिनांक 09.09.08 से 11.09.08 को सरायपाली, बसना, बरमकेला में निवासरत गुरिया जाति के समाज प्रमुखों से प्रत्यक्ष भेंट कर आयोग ने उनके सामाजिक रीति–रिवाज, शैक्षणिक स्तर इत्यादि की जॉच की एवं पाया कि इनका सामाजिक स्तर अत्यन्त पिछड़ा है एवं शैक्षणिक स्तर निम्न है।

गुरिया जाति पिछले लगभग 100 वर्षों से उड़ीसा से आकर छ.ग. के रायगढ़/महासमुंद जिले में निवासरत है। इस जाति को केन्द्र सरकार के उड़ीसा राज्य के केन्द्रीय सूची में अनुक्रमांक 49 में शामिल किया गया है। इनका व्यवसाय मुख्य रूप से समारोह इत्यादि में भोजन बनाना है। इस जाति का यह व्यवसाय परम्परा से चला आ रहा है ये मुख्य रूप से गुड़ का सामान बनाकर विक्रय करते है। उडीसा में इनके पूर्वज मंदिरो में गुड़ का सामान बना कर विक्रय करते थे। वर्तमान में गुड़ की मिठाईयों का चलन कम होने से शक्कर की मिठाई बना कर बाजार में विक्रय करते है।

नामकरण :– गुड़िया/गुरिया नाम गुड़ से बने मीठे खाद्य पदार्थ तैयार करने के कारण इन्हें गुड़िया एवं अपभ्रंश भाषा में गुरिया कहा जाता है। मुख्य रूप से इस जाति का व्यवसाय "हलवाई" का कार्य है। इस जाति के लोग छ.ग. में सरायपाली, बसना, सरिया, सारंगढ़, बरमकेला इत्यादि ग्रामीण अंचलों में निवास करते है। इनके अध्ययन के लिए आयोग के माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल, सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे, एवं लिपिक श्री उत्तरा कुमार पटेल के द्वारा नवागढ़, बारी गिरौला, बैतारी गांव में जाकर अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि ये लोग ओ.बी.सी. में शामिल करने के योग्य है भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय विधायक श्री त्रिलोचन पटेल से भेंट की गई उन्होंने भी इन्हें शामिल करने हेतु अनुशंसा की है मान. विधायक एवं पूर्व मंत्री शक्राजीत नायक श्री माधव सिंह ध्रुव मान. मंत्री आ.जा.क. ने भी इन्हे ओ.बी.सी. में शामिल करने की मांग/पहल की है।

ये लोग सराफ, शराफ, साहू, आदि सरनेम लिखते हैं इनमे नाग, भारद्वाज, नागस्य, मुदग्ल गोत्र प्रचलित है, ये भोरिया, कोलता रावत, के घर का कच्चा–पक्का भोजन स्वीकार करते है इनके प्रमुख आराध्य देव गणेश जी है। विवाह इत्यादि संस्कारों में पंडित, धोबी, नाई की आवश्यकता पड़ती है।

निष्कर्ष :–

1. आयोग के द्वारा गुरिया जाति का बैतारी, नवागढ़ बारीगिरौला ग्रामों निवासरत समाज के लोगों से भेंट की गई।
2. गुरिया समाज के गोत्र-नाग,नगस्य, भारद्वाज, मुरदग्ल, है।
3. गुरिया जाति के वैवाहिक संबंध उडीसा, म.प्र व छ.ग. में होते हैं।

4. इनके आराध्य देव गणेश जी है तथा विवाह इत्यादि संस्कारों में पंडित की आवश्यकता होती है।
5. इस समाज में शिक्षा का स्तर निम्न है एवं पैतश्क व्यवसाय में कार्य करने के कारण साक्षरता का प्रतिशत भी औसत से कम है।
6. इनका परम्परागत व्यवसाय गुड़ से खाने की वस्तुऐ बना कर हाट बाजार में बेचना है कुछ लोग बर्तन बनाने का कार्य करते है तो कुछ चाट गुपचुप के ढेले लगाकर अपना जीवन–यापन करते है।
7. यह जाति शैक्षणिक व सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुऐ है।
8. इस समाज के लोगों को गुड़ की खाद्यान्न वस्तुए बनाने के कारण गुड़िया एवं अपभ्रंश रूप में गुरियां कहा जाता है।

अनुशंसा :–

इनके समाज का राजनैतिक प्रतिनिधित्व शून्य प्रतिशत हैं एवं सरकारी नौकरी में 1 प्रतिशत से कम लोग कार्यरत है। इनका रहन–सहन, रीति–रिवाज व संस्कार भटियारा जाति से काफी मिलता–जुलता है अतः इन्हे भटियारा जाति के उपरांत "गुरिया" एवं गुड़िया नाम से शामिल किये जाने की अनुशंसा आयोग की बैठक में एतद् द्वारा की जाती है। अतः इन्हे ओ.बी.सी. की सूची क्रमांक 16 में शामिल किये जाने का सुझाव दिया जाता है

सचिव सदस्य सदस्य सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

3. मौवार जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिनांक 09.05.08 को मौवार जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की छत्तीसगढ़ की सूची में शामिल करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि मिसल बंदोबस्त, राजस्व अभिलेख एवं विद्यार्थियों की अंक सूची एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र में मौवार जाति का उल्लेख है, जबकि छत्तीसगढ़ की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 60 में इस जाति को मोवार के नाम से शामिल किया गया है।

मौवार जाति के व्यक्तियों से चर्चा के उपरांत आयोग ने अपने स्तर पर परीक्षण किया तथा यह पाया की मौवार जाति के लोग पूर्व में जंगली जानवरों के शिकार का कार्य करते थे। शिक्षा के प्रचार–प्रसार से इस परम्परागत व्यवसाय से रूचि कम हुई है। वर्तमान में शासकीय प्रतिबंध के चलते उनके परम्परागत व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा हैं इस जाति के लोगों का रीति–रिवाज, रहन–सहन व विभिन्न संस्कार मोवार जाति के समान होता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर वे लोग भी पिछड़े हुए है।

मौवार जाति के लोग रायगढ़ के सारंगढ़ विकासखण्ड में बहुतायत में निवासरत हैं। चूंकि मोवार जाति म.प्र. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनु. क्र. 60 पर अंकित हैं। चूंकि मोवार जाति के परम्परागत व्यवसाय एवं मौवार जाति का परम्परागत व्यवसाय एक ही है। मौवार जाति शैक्षणिक व सामाजिक स्तर प पिछड़ी हुई है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मौवार जाति को अनुक्रमांक 60 पर संशोधित कर मोवार के उपरांत मौवार जाति को शामिल करने की अनुशंसा करता है।

सचिव　　सदस्य　　सदस्य　　सदस्य

अध्यक्ष
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

4. राजभर जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर (छ.ग.)

21–सी रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन नं. 0771–2420352

क्रमांक/131/पि.व.आ./स्था./2009–10 रायपुर दिनांक: 18/03/10

प्रति,

सचिव,
आदिम जाति तथा अनु. जाति, पिछड़ा वर्ग एवं
अल्पसंख्यक विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.)

विषय : छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में ''राजभर'' जाति जोड़े जाने हेतू अनुशंसा प्रेषण -

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होने हेतु ''राजभर'' जाति का आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ। मात्रात्मक त्रुटि एवं उच्चारण का अन्तर मानते हुए छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ''राजभर'' जाति को शामिल करने हेतु अध्ययन व अनुसंधान किया। अनुसंधान के आंकड़ो के आधार पर ''राजभर'' जाति को छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	जाति का नाम	अनुक्रमांक जिस पर जाति को शामिल किया जाना है।
1.	राजभर	68

उपरोक्तानुसार ''राजभर'' जाति को जोड़े जाने हेतु आयोग की अनुशंसा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर सम्प्रेषित।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

संलग्न-
''राजभर'' जाति की अनुशंसा

5. चंदनाहू/चन्नाहू जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने बाबत् अनुशंसा

कार्यालय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर (छ.ग.)

21–सी रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन नं. 0771–2420352

क्रमांक/145/पि.व.आ./स्था./2009–10 रायपुर दिनांकः 27/03/10

प्रति,

सचिव,
आदिम जाति तथा अनु. जाति, पिछड़ा वर्ग एवं
अल्पसंख्यक विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.)

विषय : छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में ''चंदनाहू/चन्नाहू'' जाति जोड़े जाने हेतू अनुशंसा प्रेषण -

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होने हेतु ''चंदनाहू/चन्नाहू'' जाति का आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ। मात्रात्मक त्रुटि एवं उच्चारण का अन्तर मानते हुए छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ''चंदनाहू/चन्नाहू'' जाति को शामिल करने हेतु अध्ययन व अनुसंधान किया। अनुसंधान के आंकडो के आधार पर ''चंदनाहू/चन्नाहू'' जाति को छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	जाति का नाम	अनुक्रमांक जिस पर जाति को शामिल किया जाना है।
1.	चंदनाहू/ चन्नाहू	39

उपरोक्तानुसार पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 39 में चंद्रनाहू के उपरांत ''चंदनाहू/चन्नाहू'' जाति को जोड़े जाने हेतु आयोग की अनुशंसा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर सम्प्रेषित।

सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

संलग्न-
''चंदनाहू/चन्नाहू'' जाति की अनुशंसा

अध्याय - 04

राज्य शासन द्वारा घोषित अनुसूची में पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

राज्य शासन द्वारा दिनांक 03/07/2010 तक किए गए संशोधनों का समावेश करके पिछड़े वर्ग की जाति /उपजाति /वर्ग यथा संशोधित सूची निम्नानुसार है -

सूची

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
1.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी, (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, रावत	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति. पशुपालन दुग्ध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैस आदि पशु चराना	''यादव'', अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है. अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती है व लिखती है. यादव राजपूत इसमें शामिल नही है. ब्राह्मण रावत तथा राजपूत रावत शामिल नही हैं.
2.	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	-
3.	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है. ब्राम्हण जाति के बैरागी शामिल नही किये गये है .
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा,धरिया लभाना, लबाना लामने.	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति.	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राम्हण शामिल नही है .
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, (चौरसिया).	पान उत्पादक व विक्रेता.	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.
6.	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा).	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना,लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना.	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया हैं.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
7.	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	-
8.	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, थारवार .	विरुदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति.	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया हैं.
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना.	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नही हैं.
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया.	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता-पाठ व विरुदावली का गायन करना.	-
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव.	कपड़ों में छपाई व रंगाई .	-
12.	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर (भोपाल,रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोधिंया.	मछली पकड़ना,पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्आ उगाना, पानी भरना, नाव चलाना.	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां है. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है. कीर जाति भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं. जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है.
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार .	कृषि एवं कृषि मजदूरी .	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नही हैं.
14.	भुर्तिया, भुतिया .	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय.	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
15.	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राम्हण है. सूची में शामिल किया गया है.
16.	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिय खाद्य पदार्थ तैयार करना है .	-
17.	चुनकर, चुनगर कुलबंधया, राजगीर	चूना,गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना .	-
18.	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	-
19.	दर्जी, छीपी,छिपी, शिपी,मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	-
20.	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक .	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिलें में अनुसूचित जाति में शामिल है.
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राम्हण नहीं है. मीणा/मीना सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति में घोषित है.
22.	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है.
23.	गड़रिया, धनगर, कुरमार हटगर, हटकर, हाटकार,गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले), गड़ेरी	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियॉ अपने को पाल व बघेले भी कहते है. पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रुप में शामिल किया गये है. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं.
24.	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रुई धुनकरने का कार्य करना कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं.	

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
25.	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत) गढ़वाल, गढ़ेवाल,गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी .	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं.
26.	धोली/डफाली/डफली/ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है.
27.	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राहम्ण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है.
28.	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं है.
29.	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा) .	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राहम्ण वर्ग सम्मिलित नहीं है.
30.	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं . जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं.	''जोगी'' धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं. लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण है, वे शामिल नहीं है.
31.	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं.
32.	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी,(स्वर्णकार) अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार).	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना .	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33.	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर.	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी.	''कुशवाहा'' काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(ब) माली (सैनी), मरार, पटैल (हरदिहा मरार)	शाक- सब्जी उत्पादन व साग-भाजी तथा फूल उत्पादन व बागवानी	कुशवाहा राजपूत इसमें शामिल नहीं है. गाँव की मुखिया, पटेल पद तथा अघरिया-धाकड़ आदि अन्य जाति, जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं हैं .
34.	जोशी (भड्डरी) डकोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं. जोशी ब्राम्हण इसमें शामिल नहीं हैं.
35.	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूड़ियां बेचना	-
36.	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर.	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना .	-
37.	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	-
38.	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर).	मिट्टी के बर्तन बनाना .	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना,रीवा, सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं.
39.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार(कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू , कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी, कुन्बी.	कृषक, कृषि मजदूरी	-
40.	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	-
41.	कौरव, कांवरे	कृषक	-
42.	कलार (जायसवाल) कलाल, डडसेना	मदिरा (शराब) बेचना	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
43.	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	-
44.	लोनिया, लुनिया,ओड़, ओड़े ओड़िया, नौनिया, मुरहा,मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा.	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना.	-
45.	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे .	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रुप मे सम्मिलित की गई हैं.
46.	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	-
47.	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर).	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर.	''पनिका'' छतरपुर,पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल जिले में जनजाति में शामिल हैं.
48.	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49.	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	-
50.	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना .	-
51.	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को ''साहू'' व ''राठौर'' कहते हैं . राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
52.	तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	-
53.	तवायफ, किसडी, कसडी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
54.	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति ''कोरकू'' की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवरगढ़ क्षेत्र में निवास करती है .
55.	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं.	सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है.
56.	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना.	मानकर की उपजाति ''निहाल'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
57.	कोटवार, कोटवाल, (भिण्ड़, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	''कोटवाल'' जाति को भिण्ड़, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
58.	खैरुवा	कत्था बनाना	''खैरुवा'' खैरवार की उपजाति है. ''खैरवार'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
59.	लोढ़ा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन-यापन करना.	-
60.	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61.	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूर	-
62.	अघरिया	कृषक, कृषि, मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
63.	तिऊर , तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना.	-
64.	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगल काल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.
65.	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	-
66.	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलगु भाषी हैं. विशेषकर बस्तर जिलें में पाई जाती है.
67.	राघवी	कृषि कार्य करना	-
68.	रजभर	कृषि मजदूरी	-
69.	खारोल	कृषि मजदूर	-
70.	सरगरा	ढोल बजाना	-
71.	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना.	-
72.	रज्जड़ रजझड़	कृषि मजदूरी	-
73.	जादम	कृषि मजदूरी	-
74.	दांगी	कृषक	''दांगी'' राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है.
75.	गयार/ परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले .	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
76.	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते है.
77.	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद है.
78.	बया महरा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशत: दुर्ग जिलें में निवास करते है.
79.	पिंजारा (हिन्दू)	-	-
80.	विलोपित	-	-
81.	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है।	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है.	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है.
82.	आंजना	-	-
83.	धोरिया	-	-
84.	गेहलोत मेवाड़ा	-	-
85.	रेवारी	-	-
86.	रूआला/रूहेला	-	-
	मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह		
87.	(1) रंगरेज	कपड़ो की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(3) छीपा	कपड़ो में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहत्तर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	-
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य.
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर.	रुई धुनाई का कार्य	हिन्दुओं के कड़ेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा, राईन	साग-सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग-सब्जी का कार्य.
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसात खाने का सामान बेचना .	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम.	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा.
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	-
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं में लुहार/ लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
	(19) तड़वी	कृषि कार्य	-
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/ समूह बैलगाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय.	हिन्दूओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले
	(22) तेली, नायता, पिंड़ारी (पिंड़ारा) कांकर .	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना.	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले
	(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	-
	(24) कलईगर	बर्तनों में अन्य सामान में कलई करना	-
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम .	-
	(26) शीशगर	-	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
88.	-		
89.	शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी	मदिरा बनाना एवं बेचना	यह जाति मुख्यतः रायपुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ जिलों में पायी जाती है।
90.	भूलिया-भोलिया	सूती कपड़ा बुनना	यह जाति मुख्यतः रायगढ़ जिले में उड़ीसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती है।
91.	पोबिया	खेती मजदूरी	यह जाति रायगढ़ जिले में निवास करती है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा म.प्र. में सम्मिलित पिछड़ा वर्ग की सूची जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 1997 को प्रकाशित को छत्तीसगढ़ गठन पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठन पूर्व सम्मिलित जातियों की सूची का अनुकूलन किया गया है।

जाति संबंधी प्राप्त आवेदनों की सूची

क्र.	जाति का नाम
1.	खर्रा जाति
2.	गुसाई जाति
3.	तन्ती,तांती जाति
4.	जुलाहा जाति
5.	छिपी जाति
6.	कलार (कल्वार) जाति
7.	केसरवानी समाज
8.	अग्निकुल क्षत्रिय
9.	रौनियार जाति
10.	जोगीनाथ
11.	थनापति
12.	मल्लाह (मलहा)
13.	झरिया जाति
14.	गुरिया जाति
15.	हलवाई जाति
16.	कमलापुरी वैश्य
17.	शिया मुस्लिम, ईरानी मुस्लिम
18.	कसौधन वैश्य
19	वेलदार (क्षत्रिय)
20.	कबीरपंथी वैष्णव
21.	गबैल जाति
22.	कापरी जाति
23.	गोपाल जाति
24.	मुस्लिम मनिहार समाज

25.	राठौर जाति
26.	मलार जाति
27.	मौवार जाति
28.	तुर्पूकापू एवं कोप्युवेलता जाति
29.	झोरा समाज
30.	धुरी जाति
31.	गुर्जर जाति
32.	भड़भूजा जाति के आरक्षण सुविधाऐं प्रदान करने बाबत् ।
33.	'गुरव' जाति को छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने बाबत्।
34.	'सारथी जाति' जाति को पिछड़ा वर्ग के रूप में समाहित करने बाबत्।
35.	"ओड़िया" जाति के साथ "सागरवंशी" को शामिल करने बाबत्।
36.	'राजभर' जाति को शामिल करने बाबत्।
37.	भोई कहार जाति को शामिल करने बाबत।

A - पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति की सूची

क्र.	जाति का नाम
1.	हिन्दु पिंजारा जाति
2.	कोईर जाति
3.	भूलिया जाति
4.	शौण्डीक / सुण्डी / सूड़ी / सोढ़ी जाति
5.	पोबिया जाति
6.	हरदिया पटेल जाति
7.	रावत जाति
8.	कसेर
9.	गडेरी
10.	नाथयोगी
11.	कुन्बी

B - पिछड़ा वर्ग में अनुशंसित जाति की सूची

क्र.	जाति का नाम
1.	गोसाई जाति
2.	गुरिया जाति
3.	हलवाई जाति
4.	गबेल जाति
5.	गोपाल जाति
6.	मौवार जाति
7.	चंद्रनाहू / चन्नाहू
8.	राजभर

C - पिछड़ा वर्ग में अनुसंधान हेतु जाति की सूची

क्र.	जाति का नाम
1	खर्रा जाति
2	तांती जाति
3	छिपी जाति
4	कलार (कल्वार) जाति
5	रौनियार जाति
6	थनापति जाति
7	मल्लाह (मलहा) जाति
8	शिया मुस्लिम , ईरानी मुस्लिम जाति
9	कापरी जाति
10	मलार जाति
11	झोरा समाज
12	गुर्जर
13	भड़भूंजा जाति
14	गुरव जाति
15	सारथी जाति
16	ओडिया (सागरवंशी) जाति
17	भोई कहार

अध्याय - 05

क्रीमीलेयर बाबत् शासन के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–26/93/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :– अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण–पत्र–क्रीमीलेयर के संबंध में निर्धारित मापदण्ड।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 8 मार्च 1994 तथा 22 जून, 1994।

संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें ।

2. भारत सरकार के ज्ञापन क्रमांक 36012/22/93/(ईस्टा) एस.सी.टी. दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के द्वारा प्राप्त क्रीमीलेयर के मापदण्डों को ही राज्य सरकार द्वारा मान्य किया गया है, किन्तु अंग्रेजी मापदण्डों के हिन्दी अनुवाद में कुछ शाब्दिक विसंगतियां रह गई थी। अतः अब शाब्दिक विसंगतियों को दूर करते हुए, संशोधित हिन्दी मापदण्ड जारी किया जा रहा है, जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया प्रमाण–पत्र जारी करते समय अब इन्हें अमल में लिया जाये।

संलग्न :– अनुसूची।

हस्ता.
(पी.सी. सूर्य)
उपसचिव
मधप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रीमीलेयर के संबंध में निर्धारित मापदण्ड

अनुसूची

क्र.	प्रवर्ग का वर्णन		अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1.	(अ) संवैधानिक पद		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :–
		(क)	भारत के राष्ट्रपति,
		(ख)	भारत के उप राष्ट्रपति
		(ग)	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
		(घ)	संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
		(डी)	समान स्वरूप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति
	सेवा के प्रवर्ग		
	(अ) अखिल भारतीय		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री :–
	केन्द्रीय तथा अन्य द्वारा	(क)	जिनके माता–पिता, दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं
	राज्य सेवाओं के	(ख)	जिनके माता–पिता, में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है
	समूह–अ/ प्रथम श्रेणी	(ग)	जिनके माता–पिता, में से दोनो ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता हैं,
	अधिकारी (सीधी भर्ती नियुक्त)	(घ)	जिनके माता–पिता में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है । और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो
		(डी)	जिनके माता–पिता दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते है और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

	(क)	ऐसे माता–पिता के पुत्र तथा पुत्रियां जिनमें से कोई एक या दोनों प्रथम श्रेणी अधिकारी है, और जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाते हैं।
	(ख)	अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह प्रथम श्रेणी अधिकरी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।
(आ) केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह–ख/ द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सीधी भरती द्वारा नियुक्त)		निम्नलिखि के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :–
	(क)	जिनके माता–पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं,
	(ख)	जिनके माता–पिता में से केवल पति द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है ओर वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व प्रथम श्रेणी अधिकारी बनता है।
	(ग)	जिनके माता–पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
	(घ)	जिनके माता–पिता में से पति प्रथम श्रेणी का अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए तथा
	(ङ)	जिनके माता –पिता में से पत्नी प्रथम श्रेणी की अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) एवं पति द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए।
		परंतु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :–
	(क)	जिनके माता–पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है।

	(ख)	जिनके माता–पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्षकी अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
(इ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारी		इस प्रवर्ग में उपर्युक्त अ तथा आ में बताया गया मापदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों संगठनो, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर– सरकारी नियोजन के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथावश्यक पविर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
3. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्धसैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं)		उन माता–पिता के पुत्र पुत्री (पुत्रियां) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल तथा इससे ऊपर की पद श्रेणी पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष, पदों पर कार्यरत है –
	(1)	यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल की पद श्रेणी तक पहुंच जाए।
	(2)	पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे की सेवा पद श्रेणी को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
	(3)	सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियोजन में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह मद संख्या 2 के तहत सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए ऐसे मामलें में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्ते उस स्वतंत्र रुप से लागू होगी।
4. व्यावसायिक वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुये कर्मचारी		प्रवर्ग 6 के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
(1) चिकित्सक, वकील, चार्टड एकाउन्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार,		

दंत चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तुविद (आर्किटेक्ट), कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुडा है, लेखक, नाटयकार, खिलाडी, खेल से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति, जनसंचार व्यवसायी, पेशेवर खिलाडी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति		
(2) व्यापार, कारोबार, तथा उद्योग में लगे व्यक्ति		प्रवर्ग 6 के सामने मानदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण
	(1)	चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी में अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो, आय/सम्पत्ति का आँकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जावेगा।
	(2)	यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति द्वितीय श्रेणी अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो आय/सम्पत्ति का आँकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किय जाएगा।
5 सम्पत्ति स्वामी (क) कृषि खाते	(1)	एक ही परिवार (माता–पिता तथा अवयस्क बच्चे) के उन व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्री जो निम्नलिखित के स्वामी हैं :–
	(क)	केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र के 85 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है, या
	(ख)	निम्नानुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि अपवर्जन नियम वहां लागू होगा जहां कि पूर्व निर्धारित शर्त यह हो कि सिंचित क्षेत्र (जिसे सामान्य अभियान के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो) सिंचित भूमि के लिये कानूनी अधिकतम सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। (इसकी गणना असिंचित क्षेत्र को अपवर्जित करके की जाएगी)। यदि 40 प्रतिशत से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचिंत क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जायेगा। यह कार्य असिंचिंत भूमि को, विद्यमान संपरिवर्तन फार्मूले के आधार पर सिंचित श्रेणी में संपरिवर्तित करके किया जाएगा।

		असिंचित भूमि में इस प्रकार संगठित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर सिंचित भूमि के रूप में कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिये तय की गयी कानूनी अधिकतम सीमा का 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी।
	(2)	यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।
(ख) बागान		नीचे प्रवर्ग 6 में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा।
(एक) काफी, चाय, रबर आदि		इन्हें कृषि क्षेत्र समझाा जाएगा और इसलिये इस प्रवर्ग पर उपरोक्त "क" का मानदण्ड लागू होगा।
(दो) आम, खट्टे फल,सेब के बाग आदि		नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।
(ग) शहरी क्षेत्रों में यह उप–नगरीय क्षेत्रों में रिक्त भूमि और/या भवन		स्पष्टीकरण भवन का उपयोग आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है।
6. आय/सम्पत्ति आँकलन संशोधन दिनांक 6 जूलाई 2000 (परिशिष्ट–30 पर संलग्न)		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियां :–
	(क)	ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षो से दो लाख रूपये या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले लगातार तीन वर्षो से इतनी सम्पति है जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है।
	(ख)	प्रवर्ग 1,2,3 तथा 5–क में के वे व्यक्ति जो कि आरक्षण के फायदे के हकदार है लेकिन जिन्हें सम्पत्ति के अन्य स्त्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर आते हों।
		स्पष्टीकरण
	(1)	वेतन या कृषि भूमि से हुई आय को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
	(2)	रूपये के मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये, रूपये के रूप में आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा तथा परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतरावधि कम भी हो सकती है।

स्पष्टीकरण :– इस अनुसूची में जहां कहीं भी "स्थायी अक्षमता" अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सकें।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9–3/2001/1–3 रायपुर दिनांक 24/06/2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :– अन्य पिछड़े वर्गों (O.B.C.) के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण–पत्र "क्रीमीलेयर" के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में संशोधन।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 7–26/93/आ.प्र./एक, दिनांक 30.07.1999 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.07.2000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमिलेयर) दर्जे के निर्धारण हेतु पूर्व निर्धारित आय सीमा में वृद्धि करते हुए आय सीमा रूपये 2 लाख नियत की गई थी।

2/ भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 36033/3/2004–स्था. (आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर 2008 द्वारा अन्य पिछडे वर्गों में सम्पन्न वर्गों (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख किया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के निर्धारण हेतु वर्तमान निर्धारित आय सीमा 2.00 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रूपये 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष निर्धारित की जाए। तदानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 7–16/2000/आ.प्र./एक, दिनांक 06.07.2000 में अनुसूची के अनुक्रमांक 6 आय/सम्पत्ति आंकलन भाग (क) में अब निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

पूर्व निर्धारित मापदण्ड			संशोधित मापदण्ड		
क्र. (1)	प्रवर्ग का वर्णन (2)	अपवर्जन किस नियम पर लागू होगा (3)	क्र. (1)	प्रवर्ग का वर्णन (2)	अपवर्जन किस नियम पर लागू होगा (3)
6	आय/ सम्पत्ति आँकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियाँ :-	6	आय/ सम्पत्ति आँकलन	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियाँ :-
		(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षों से रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले तीन वर्षों से इतनी सम्पत्ति है, जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है।			(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.50 लाख रूपये (रूपये चार लाख पचास हजार) या उससे अधिक है, अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा की अधिक की सम्पत्ति रखते हैं। (ख) श्रेणी की I,II,III और V-क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हे उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियों स्पष्टीकरण वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासनसामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक/एफ 9–3/2001/1–3 रायपुर दिनांक 24.06.09

प्रतिलिपि :–

01. राज्यपालन के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
03. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, त्रिकूट–1 भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली,
04 निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
05. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
06. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर,
07 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
08. विशेष सहायक/निज सहायक, मुख्यमंत्री/ राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर
09 सचिव, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग पदाधिकारी, रायपुर
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर
12. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली,
14. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
15. सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर
16. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
17. कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
18. अवर सचिव (स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय रायपुर,
19. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष–6 मंत्रालय, रायपुर की ओर वेब साईट www-cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अध्याय - 06

जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शासन के निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 428/2003/1–3, रायपुर दिनांक 22.07.2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़

विषय :– अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभागके परिपत्र क्रमांक एफ–7–2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 197 में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का कंडिका '6' एवं '13' में निम्नानुसार उल्लेख है :–

6. जाँच के आधार बिन्दु – जांचकर्ता अधिकारी आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम या अन्य साक्ष्य, जो कि वहां के स्थायी निवास तथा जाति सिद्ध करने में सहायक हो, प्राप्त करेंगे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारी की भी राय ली जा सकती है ग्रामीण क्षेत्र की पंचायते तथा शहरी क्षेत्र के नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अभिलेख इन संस्थाओं की राय को भी साक्ष्य माना जायेगा परंतु प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उक्त साक्ष्य से या अन्य सभी तरीके से वे सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को यह प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है, वह (मध्य प्रदेश) छत्तीसगढ़ का निवासी है और दिनांक 26 दिसम्बर 1984 को या इसके पूर्व (मध्य प्रदेश) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवजन कर चुका है।"

13. प्रवजन अर्न्राज्यीय प्रवजन– (अ) जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवजन करता है, तो वह केवल उस राज्य के बारे में ही पिछड़ा वर्ग का सदस्य माना जाएगा, जिससे मूल रूप से संबंध हो अथवा पिछड़े वर्ग के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.012.1984 को या इसके पूर्व राज्य में प्रवजन कर चुका हैं।

(ब) यदि पिछड़ा वर्ग का सदस्य कहीं अन्यत्र प्रवजन करता है और वह जाति/जनजाति उस प्रदेश की अधिसूचित सूची में नहीं है तो उसे जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी"

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए 26 दिसम्बर, 1984 की स्थिति में जांच की जाना है।

2. शासन को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा वर्ग के जाति समूहों से भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भांती वर्ष 1950 के आधार पर अभिलेख की मांग/जांच को आधार बनाया जा रहा है।

3. अतः समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदारों एवं नायाब तहसीलदारों की तत्काल बैठक लेकर यह सुनिश्चित करें कि पिछड़ा वर्गों के लिए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु 26 सितम्बर, 1984 की निर्धारित तिथि का पूर्णतः पालन करें।

(पंकज द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर दिनांक 22.07.2003

पृ.क्रमांक 428/2003/1–3,

प्रतिलिपित :–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
6. उपसचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
7. प्रमुख सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. आयुक्त, जन सम्पर्क, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विलियम कुजूर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अध्याय - 07

पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रूप में शामिल होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।

कृपया निम्नांकित प्रपत्र में उस जाति वर्ग के सम्बन्ध में जानकारी देने का कष्ट करें । जिसे आप पिछड़े वर्गो की सूची में शामिल कराना चाहते है अथवा उन्हें सूची से निकलवाना चाहते हैं ।

1. जाति/वर्ग का नाम .....
2. उप जातियों के नाम .....
3. उपाधि या सरनेम जो, प्रचलन में हो .....
4. समानार्थी जाति/वर्ग का नाम .....
5. उन जातियों के नाम जिन्हें आप आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समान स्तर की मानते है । .....
6. शामिल की जाने वाली जाति का मूल निवास स्थान .....
7. वर्तमान में कहां–कहां निवास करती है .....
8. जहां निवास करती है वहां अन्य कौन–कौन सी जातियां है जो प्रस्तावित जाति या वर्ग से उच्च समझी जाती है । .....
9. कौन सी जाति वर्ग नीचा या पिछड़ा माना जाता है । .....
10. जातियों (वर्गों) की अनुमानित जनसंख्या .....
11. पिछड़ेपन का आधार क्या है :–
    1. शैक्षणिक .....
    2. सामाजिक .....
    3. आर्थिक .....
    4. शासकीय सेवाओं में नियोजन .....
    5. अन्य .....
12. मुख्य व्यवसाय .....
13. परम्परागत व्यवसाय .....
14. क्या आप समझते है कि पिछड़े वर्गो की सूची में जिन वर्गो को शामिल किया गया है आपकी स्थिति उनसे भिन्न नहीं है अथवा भिन्न है तो किस आधार पर :
15. क्या आप समझते हैं कि किसी विशेष जाति या वर्ग को सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए तो उस जाति/वर्ग का नाम :
16. कारण :

17. क्या आप समझते है कि सूची में शामिल जाति या वर्ग की तुलना में अन्य जाति/वर्ग ऐसे है जो अधिक पिछड़े हैं नाम लिखे :

18. अपने तर्क की पुष्टि हेतु यदि कोई प्रमाण देना चाहें तो उसका उल्लेख करें :

क्र.	जिले/गांव का नाम	अनुमानित जनसंख्या	शिक्षा					शासकीय नौकरी				विभिन्न व्यवसाय	कृषि में निर्भरता का प्रतिशत
			8वीं	10वीं	12वीं	स्ना.	स्नात.	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी		

आवेदक

स्थान .....

दिनांक .....

नाम .....

पता .....

.....

अध्याय - 08

छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं -

(अ) शैक्षणिक विकास की योजनायें :-

1. **राज्य छात्रवृत्ति :**

कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून सें मार्च तक 10 माह हेतु निम्नांकित दरों पर राज्य छात्रवृत्ति दी जाती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति			पिछड़ा वर्ग	
कक्षा	बालक	बालिका	बालक	बालिका
कक्षा 6 वीं से 8 वीं	300/-	400/-	150/-	225/-
कक्षा 9 वीं से 10 वीं	400/-	500/-	225/-	300/-

इसके अतिरिक्त कक्षा तीसरी से पांचवीं की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अजजा की बालिकाओं को एक शैक्षणिक वर्ष के 10 माह हेतु रु. 25/- मासिक (कुल रुपये 250 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं)

अनुसूचित जाति/ अजजा के विद्यार्थियों को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जिनके पालक आयकर दाता न हो या जिनके पास 10 एकड़ से कम कृषि भूमि हो उन्हें राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता है।

2. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :**

अनु.जाति एवं जनजाति के कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत छात्रों को जिनके पालकों की वार्षिक आय 100000/- तक होने पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाति है। पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक की वार्षिक आय 9000/- तक हो उन्हें पूरी एवं जिनकी वार्षिक आय रुपये 9001/- से 25000/- तक हो उन्हें आधी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

अनु. जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

क्र. समूह	गैर छात्रावासी	छात्रावासी
1. चिकित्सा/ इंजिनीयरिंग/बी.एस.सी. (कृषि)	330	740
2. बी.पी.एड./एम.पी.एड., बी.बी.एस.सी.	330	510
3. पॉलिटेकनिक (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) एम.ए., एम.कॉम, एम.एच.एस.सी. और एल.एल.बी. (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	330	510
4. बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी., बी.एच.एस.सी. (प्रथम वर्ष) 11 वीं, 12 वीं (10+2)	140	235
5. बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी. (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	185	355

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति -

क्र.	समूह कक्षा		गैर छात्रावासी		छात्रावासी	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका
01	मेडिकल तथा इंजीनियर	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	100	110	210	220
		तृतीय वर्ष	105	115	210	225
	बी.व्ही.एस.बी.एस.सी.कृषि	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	100	110	185	195
		तृतीय वर्ष	105	115	185	200
02	डिप्लोमा कोर्सेस इंजीनियर मेडिकल कॉलेज टेक्नोलॉजि तथा पोस्ट ग्रेजुयेट इन आर्टस एण्ड कामर्स	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	100	110	125	135
		तृतीय वर्ष	105	115	130	145
03	सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग मेडिकल टेक्नोलॉजि तथा पोस्ट ग्रेजुयेट इन आर्टस एण्ड कामर्स	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	100	110	125	135
		तृतीय वर्ष	105	115	130	145
04	जनरल अपटू ग्रेजुयेट लोवल के बाद	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	55	70	100	110
		तृतीय वर्ष	70	85	115	130
05	कक्षा 11 वीं, 12वीं	कक्षा 11 वीं	50	60	100	110
		12 वीं	55	70	100	110

इसके अतिरिक्त व्यासायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनु.जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को जिन्हें पो.में छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं हैं। उन्हें देय शिक्षण शुल्क/ विकास शुल्क में निम्नानुसार छुट दी जाती है।

वार्षिक आय छूट : रुपये 100000/- से 200000/- तक पूरी फीस
रुपये 200000/- 250000/- तक आधी फीस

03 प्रावीण्य छात्रवृत्ति :

कक्षा पांचवी एवं आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण अनु. जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को जिन्होंने उक्त बोर्ड परीक्षाओं में 45% से अधिक अंक अर्जित किये हैं उन्हें जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं प्राविण्यता के आधार पर कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक 400 रुपये तक वार्षिक तथा कक्षा 9 वीं से 10वीं तक 500 रुपये वार्षिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति दी जाती है।

04 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन छात्रवृत्ति :

अनु. जाति तथा अनु.जनजाति की बालिकायें जिन्होंने कक्षा पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उन्हें कन्या शिक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने पर रुपये 500 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

05 अस्वच्छ धंधो में लगे परिवार के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति :

मृत जानवरों के चमड़े छिलने/ पकाने तथा परंपरागत शुष्क शौचालयों की सफाई में लगे परिवार के बच्चों को केन्द्र सरकार की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष रुपये 400 कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक रुपये 600 तथा कक्षा 9 वीं से 10वीं तक रुपये 750 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, साथ ही इन विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष रुपये 550 (गैर छात्रावासी) तथा रुपये 600 (छात्रावासी) अनुदान भी दिया जाता है।

06 छात्रावास/ आश्रम सुविधा :

अपने निवास के 3 कि.मी. की दूरी में शिक्षण संस्था न होने से अन्य संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, पानी, बिजली, भोजनालय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास/ आश्रम संचालित है। इन संस्थाओं में निवासित

अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के प्री मैट्रिक स्तर के बालकों को रुपये 350/- एवं बालिकाओं को रु. 360/- मासिक शिष्यावृत्ति प्रदान की जाती है। एक वर्ष में यह शिष्यवृत्ति 10 माह हेतु दी जाती है तथा मैट्रिकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को छात्रावासी की दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

07 छात्र गृह योजना :

उच्चतर माध्यमिक स्तर एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाया हो उन विद्यार्थियों के आवास की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह योजना संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत पांच या उससे अधिक विद्यार्थी जिस किराये के मकान में रहते हैं उनके किराये का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है एवं इस प्रकार के छात्र गृहों में निवासित विद्यार्थियों को छात्रावासी दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

08 आगमन भत्ता :

विभाग के मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को न्यूनतम आवश्यक सामग्रियों (गद्दा. चादर, थाली, गिलास आदि) के क्रय हेतू आगमन भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। अध्ययन समाप्ति पर विद्यार्थी उक्त भत्ते से क्रय की गई सामाग्रियों अपने साथ ले जा सकता है। प्रथम वर्ष हेतू रुपये 800/- द्वितीय वर्ष हेतू रुपये 250/- तृतीय वर्ष हेतू रुपये 200/- आगमन भत्ता शासन द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

09 ग्रन्थालयों की स्थापना :

प्रदेश के तकनीकी महाविद्यालयों (चिकित्सा, अभियांत्रिकी, पॉलिटेकनिक, कृषि) में अध्ययनरत अनु.जाति तथा अनु. जनजाति विद्यार्थियों के लिए अलग से सुविधा पूर्ण ग्रंथालय की स्थापना हेतु इन संस्थाओं को इस विभाग द्वारा वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है।

10 विभागीय शिक्षण संस्थायें :

प्रदेश के जनजातिय बाहुल्य क्षेत्रों में विभाग द्वारा उ.मा. शालायें हाई स्कूल एवं माध्यमिक शालायें प्राथमिक शालायें संचालित की जा रही है जिनमें विद्यार्थी अपने ही ग्राम या निकटतम ग्राम में शिक्षण सुविधा प्राप्त कर रहें है इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा आदर्श विद्यालय एवं गुरुकुल विद्यालय भी संचालित है।

11 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :

प्राथमिक शालाओं तथा प्राथमिक स्तर के आश्रमों में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है प्रतिदिन 100 ग्राम चांवल तथा दाल/सब्जी/इंधन हेतु 2.00 रुपये प्रति विद्यार्थी के दर से संस्था में ही तैयार कर गरम भोजन देने की व्यवस्था है

12 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :

प्रदेश की ऐसी अशासकीय संस्थाएं जो अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगे हुए हैं उन्हें विभाग द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

13 बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :

10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनु. जाति तथा अजजा. के विद्यार्थियों को लगने वाली बोर्ड परीक्षा शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

14 गणवेश प्रदाय :

प्रदेश के प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5 वीं तक के अध्ययनरत अनु. जाति तथा अजजा की बालिकाओं को एक सेट गणवेश का विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा पहली से आठवीं तक के बालक/बालिकाओं को गणवेश दिया जाता है।

15 जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजना :

अनु. जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं निजी) में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाना। इस योजना के तहत 5 वीं एवं 8 वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में क्रमशः न्यूनतम 85% तथा 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। इसके तहत विद्यार्थियों को संस्था से स्कूल में देय शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

16 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :

यह योजना वर्ष 2007-2008 से लागू की गई है। इसके अन्तर्गत छ.ग. मा.शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अ.जा. तथा अ.ज.जा के विद्यार्थियों में से प्रत्येक स्तर पर 350 अनु. जनजाति एवं 150 अनु.जाति के विद्यार्थियों का चयन कर प्रत्येक को 10000/- का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है

17 सरस्वती सायकल योजना :

आदिवासी क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति नदी, पहाड़, ग्रामों से स्कूल की दूरी एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। छात्राओं को आठवी के पश्चात हाई स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनु.जाति एवं अनु. जनजाति का कन्या 9 वीं में प्रवेशित हैं, उन्हें निःशुल्क सायकल, विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2006-07 से विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को भी सायकल दिया जा रहा है।

18 स्वस्थ तन- स्वस्थ मन योजना :

छात्रावास/ आश्रमों में निवास करने वाले छात्र/ छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परिक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत माह में 2 बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परिक्षण योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा किया जाता है।

19 स्काउट एवं गाईड :

स्काउट गाईड में विभिन्न शिविरों/ योजनाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है।

20 विशेष शिक्षण केन्द्र योजना :

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव बना रहता है। इसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य अनु.जाति तथा अनु. जनजाति छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को विशेष शिक्षक के माध्यम से कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम पर गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने योग्य बनाना है।

21 छात्र भोजन सहाय योजना :

इसके तहत कक्षा 11 वीं एवं आगे की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रावासी विद्यार्थियों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। जिसकी दरें पर्याप्त नहीं होने के कारण छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेतु अपने घर से धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा की इस स्तर पर छात्र- छात्राओं को विशेष पोषण आहार की भी आवश्यकता होती है इसकी प्रतिपूर्ति हेतु पूरक रुप में सहायता देना जिससे छात्र-छात्राओं का अध्ययन प्रभावित न हों। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 200/- रु. सहायता दी जाती है।

22 आदर्श शाला पुरस्कार योजना :

इस योजना का उद्देश्य हाई स्कूल/ उ.मा.वि. में स्वच्छ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कराना है। इसके तहत प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन शालाओं को शैक्षणिक वर्ष में किये गये उपलब्धियों हेतु पुरस्कृत किया जाता है। जिसमें प्रथम पु. 300000 रु. द्वितीय 200000 रु. तृतीय पु. 100000 रु. नगद दिया जाता है।

23 आदर्श शिक्षक पुरस्कार :

इस योजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं के शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने/ अनुशासन नियमितता एवं आदिवासी शिक्षा के विकास में उच्च प्रतिभा स्थापित करने के आधार पर आदर्श शिक्षक का चयन कर प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत किया जाना है। योजनान्तर्गत चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में निर्धारित पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जिला एवं राज्य स्तर पर दिया जाता है।

24 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :

इस योजना का उद्देश्य अनु. जाति तथा अनु. जनजाति वर्ग के छात्रावास/आश्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फ्रेन्डली बनाना है, जिससे वे कम्प्यूटर आधारित शिक्षण एवं कार्य में दक्ष हो सके जिसमें कक्षा छठवी से 12 वीं एवं उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी एवं प्रशिक्षण निःशुल्क होगा।

25 छात्रावास/ आश्रमों में सौर-प्रकाश प्रणाली की स्थापना :

इस योजना का उद्देश्य छात्रावास/ आश्रमों में विद्युत अनियमितता कम करने हेतु सौर प्रणाली की स्थापना करना है। जिससे अनियमित विद्युत आपूर्ति के संकट के समय छात्र-छात्राओं का अध्ययन प्रभावित न हों।

(ब) सामाजिक एवं आर्थिक सहायता की योजनाएँ :-

1. आकस्मिकता योजनाएँ :

अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के लोगों को सवर्ण द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, अपमानित करने शारीरिक आघात पहुचाने, संपत्ति को हानि पहुचाने आदि के मामलों में विभाग द्वारा पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकरणों में राहत राशि की सीमा 15000/- से 200000/- तक है साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति एवं उनके परिवार को पेयजल, कृषि भूमि, बच्चों की शिक्षा सामाजिक पुनर्वास स्वरोजगार, विकलांगो को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

2. राहत योजना :

इस योजना के तहत साधन हीन कन्याओं के विवाह हेतू रुपये 1500/- एवं ऐसी कन्या जिनके माँ बाप न हो उनके विवाह हेतु 3000/- की आर्थिक सहायता की जाती है साथ ही आकस्मिक दुर्घटना अति संकटापत्र स्थिति में प्रकरण की परिस्थिति के अनुरुप अधिकतम रुपये 200/- तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

3. अन्तर्जातीय विवाह :

किसी सवर्ण युवक /युवती का अनु. जाति के युवक/युवती से विवाह करने पर ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वाले दम्पत्ति को रुपये 6000/- नगद एवं प्रशस्ती पत्र से सम्मानित किया जाता है।

4. सद्भावना शिविरों का आयोजन :

अस्पृश्यता निवारण की भावना से प्रचार-प्रसार लोगों के बीच सौहार्द पूर्ण वातावरण निर्माण के उद्देश्य से अनु.जाति बाहुल्य क्षेत्र के किसी एक ग्राम में प्रति वर्ष सद्भावना शिविर आयोजन किया जाता है, जिसमें वर्ण भेद रहित सामुहिक भोज, वाद-विवाह प्रतियोगिता संभाषण एवं शिक्षाप्रद चित्रपट आदि प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाता है।

5. स्वरोजगार मूलक वित्तीय सहायता योजना :

आदिवासी वित्त एवं विकास निगम अन्त्यवसायी सहकारी समिति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त विकास निगम द्वारा आरक्षित वर्ग के लोगों को निम्नांकित व्यवसाय हेतु ऋण एवं अनुदा प्रदान किया जाता है।

1. अनु. जनजाति को ऋण एवं अनुदान :

गरीबी रेखा एवं दुगनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले अनु. जनजाति के लोगों को ट्रेक्टर ट्राली, आटो रिक्शा, कमान्डर, जीप, मीनी बस, मीनी ट्रक, सुअर पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, टेन्ट हाऊस, होटल, ढाबा, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसायों के लिए लागत राशि का 80 प्रतिशत ऋण दिया जाता है तथा नाबार्ड योजना के अन्तर्गत रुपये 6000/- की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाता है।

2. अनु. जातियों के लिए ऋण एवं अनुदान :

गरीबी रेखा या दुगुनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले बेरोजगारों को ट्रेक्टर, ट्राली, आटो रिक्शा, टेन्ट हाऊस, बैण्ड पार्टी, ब्युटी पार्लर, जूता- चप्पल दुकान, सुअर पालन, डी.टी.पी. (कम्प्यूटर) आदी के लिये लागत राशि का 80% ऋण तथा नाबार्ड योजना के तहत 6000/- की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाता है।

3. पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों के लिए ऋण सुविधायें :

गरीबी एवं दुगुनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले लोगों को आटो रिक्शा, रेडीमेड दुकान, कार वर्क शॉप, आटो स्पेयर पार्ट्स आदि विभिन्न योजनाओं के लिए 80% ऋण दिया जाता है।

6. नाई पेटी योजना :

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत बाल काटने के व्यवसाय में लगे लोगों को प्रोत्साहित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार

सुनिश्चित कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना, इसके तहत पेटी एवं बाल कटिंग संबंधित आवश्यक औजार एवं अन्य सामाग्रियां चयनित हितग्राहियों को निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है।

7. **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयंती योजना :** भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयंती दिनांक 14 अप्रेल के दिन पूरे राज्य में प्रेरणास्पद कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(स) क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

1. **स्थानीय विकास कार्यक्रम :** योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में प्राप्त राशि से परियोजना सलाहकार मण्डल की सलाह एवं स्वीकृति से जिले की आदिवासी उपयोजना क्षेत्र लघु अंचल क्षेत्र एवं डामा पॉकेट क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप प्राथमिकता के आधार पर पेय जल सुविधा, पहुँच मार्गों, पुल-पुलियों, रपटों का निर्माण, शिक्षा संस्था भवनों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, चिकित्सक आवास गृह आदि के निर्माण कार्य निष्पन्न कराये जाते हैं, तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते हैं।

2. **क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :** जिले के 80% से अधिक अनु.जाति बाहुल्य ग्रामों, टोलों में मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन से प्राप्त अनाबद्ध राशि से स्थानीय जरूरत एवं प्राथमिकता के आधार पर पेय जल सुविधा, नाली, खरंजा निर्माण, प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण छात्रावासों/ आश्रमों को न्यूनतम आवश्यक समाग्रियों का प्रदान सामूहिक सिंचाई आदि कार्य जनपद पंचायतों के माध्यम से कराये जाते हैं।

3. **अनुसूचित जाति बस्तियों का सघन विकास :** योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से अनु.जाति बाहुल्य बस्तियों टोलों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पहुंच मार्ग निर्माण एवं मरम्मत, गंदे पानी के निकासी हेतू नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, पेयजल व्यवस्था आदि सार्वजनिक उपयोग के कार्य जनपद पंचायतों के माध्यम से संपन्न कराये जाते हैं।

4. **सामुदायिक मंगल भवन निर्माण योजना :** इस योजनान्तर्गत अनु.जाति बाहुल्य ग्रामों में निवासरत् अनु.जाति वर्ग के लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों को सम्पन्न करने एवं सामाजिक समरसता में वृद्धि करने हेतू मंगल भवनो का निर्माण किया जाता है।

5. **विभागीय संस्थाओं के लिये भवनों का निर्माण :** योजनान्तर्गत भवन विहीन छात्रावासों/आश्रमों, उच्चतर माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण एवं साधारण मरम्मत के कार्य एवं अन्य निर्माण एजेंसीयों के माध्यम से कराये जाते हैं

6. **जैतखाम निर्माण :** महान् संत गुरुघासी दास जी का जन्म स्थली गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से भी ऊंची जैतखाम का निर्माण कराया जा रहा है।

(द) व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना -

1. **निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण :** छत्तीसगढ़ राज्य में अर्न्तव्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 15 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर अनु. जनजाति वर्ग के युवक- युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2003 से अब तक इस योजना में 4000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगभग 2000 लोग प्राईवेट कार्य में एवं 116 लोग स्व-व्यवसाय में स्थापित हो चुके हैं।

2. **एअर होस्टेस एवं पालयट प्रशिक्षण :** एअर होस्टेस प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 27 अनु.जनजाति लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। तथा पायलट प्रशिक्षण हेतु 9 लड़कों के चयन की कार्यवाही जारी हैं।

3. **युवा कैरियर निर्माण योजना :**

अनु. जनजाति एवं अनु.जनजाति वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान का चयन करके रायपुर एवं बिलासपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभान्वित होंगे।

(ई) आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास

1. **देवगुड़ी विकास योजना :**

अनु. जनजाति बाहुल्य ग्रामों में स्थित देव स्थल के विकास हेतु इस योजना में प्रत्येक ग्राम को 10000/- रुपये की राशि प्रदाय की जाती है।

2. **आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना :**

इस योजना के तहत आदिवासी संस्कृति को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु उनके पारंपरिक संस्कृति के परिरक्षण विकास हेतु सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामाग्रियों की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाना है। इसके तहत प्रत्येक दल को रुपये 10000/- मात्र सहायता देने का प्रावधान है, जिसके तहत प्रत्येक विकासखण्ड से अधिकतम पांच दलों को सहायता दिया जाना है।

3. **लोककला महोत्सव :**

1. शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोककला महोत्सव -

प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को आदिवासी लोक कला महोत्सव का आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म स्थली सोनाखान में किया जाता है उसमें आदिवासी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर उत्कृष्ट दलों को पुरुस्कृत किया जाता है।

2. गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव :

अनुसूचित जाति लोक नृत्य जैसे पंथी, चौका आदि का आयोजन कर उत्कृष्ट दलों को पुरुस्कृत किया जाता है इसका आयोजन प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के मध्य किया जाता है।

(फ) विभाग के अन्तर्गत संचालित आयोग/प्राधिकरण/अभिकरण :

1. **जनजाति आयोग :**

अनुसूचित जनजाति के हितार्थ संचालित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु आयोग का गठन किया गया है।

2. **अनुसूचित जाति आयोग :**

अनुसूचित जाति वर्ग के हितसंवर्धन एवं हितार्थ योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं सुझाव हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है।

3. **अल्पसंख्यक आयोग :**

अल्पसंख्यक वर्ग के हितार्थ संचालित योजनाओं के अनुश्रवण, समीक्षा एवं सुझाव हेतु गठित है। वक्फबोर्ड : मुस्लिम धर्मावलंबियों की सामाजिक समस्या के निराकरण के लिये गठित है।

4. **पिछड़ा वर्ग आयोग :**

पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सुझाव हेतु गठित किया गया है।

5. **उर्दू अकादमी :**

उर्दू साहित्य के प्रचार- प्रसार एवं संवर्धन हेतु उर्दू अकादमी का गठन किया गया है।

6. **हज कमेटी :**

मुस्लिम धर्मावलंबियों को हज यात्रा विषयक सहायता एवं अनुदान दिया जाता है।

7. **अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :**

रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुन्द, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा एवं जांजगीर जिलों को मिलाकर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास के लिये योजनायें स्वीकृत कर संचालित की जा रही हैं।

8. बस्तर विकास प्राधिकरण :

उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, जगदलपुर एवं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र नगरी, गरियाबंद, डौंडी एवं राजनांदगांव को मिलाकर गठन किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय विकास के कार्य सुगमता से स्वीकृत किये जा रहे हैं।

9. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण :

सरगुजा, कोरिया, जशपुर एवं कोरबा जिलों तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र गौरेला एवं धर्मजयगढ़ को मिलाकर गठन कर दिया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय विकास के कार्य सुगमतापूर्वक स्वीकृत किये जा रहे हैं।

10. भुंजिया विकास अभिकरण :

भुंजिया जनजाति के विकास हेतु पृथक से बजट प्रावधान रखकर विकास की योजनायें संचालित की जाती है, इसका मुख्यालय रायपुर में है।

11. पन्डो विकास अभिकरण :

पन्डो जनजातियों के विकास हेतु पृथक से बजट प्रावधान रखकर विकास की योजनायें संचालित की जाती है। इसका मुख्यालय सूरजपुर में है।

(ड) पुरस्कार एवं सम्मान

1. शहीद वीर नारायण सिंह एवं डॉ. भवर सिंह पोर्ते स्मृति सम्मान :

आदिवासी समाज के हित में कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति/ संस्था को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान के साथ 2 लाख रुपये दिया जाता है। इसी तरह इस वर्ग के हितार्थ कार्य करने वाली किसी अशासकीय संस्था को स्व. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान जो 2 लाख रुपये का है, दिया जाता है।

2. गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान सम्मान :

अनुसूचित जाति के विकास हेतु कार्यरत किसी एक व्यक्ति या संस्था को प्रतिवर्ष यह सम्मान दिया जाता है। इसके अन्तर्गत रु. 2 लाख नगद दिया जाता है।

3. स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार :

उर्दू साहित्य में सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष रु. 2 लाख का एक पुरस्कार दिया जाता है।

अध्याय - 09

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाएं -

सरोवर धरोहर योजना :

शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना आरंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रु. 9.10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

ज्ञानस्थली योजना :

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्वार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 3 लाख रुपए, माध्यमिक शालाओं के 5 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 7 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 8 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

उन्मुक्त खेल मैदान योजना :

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 7.50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

पुष्प वाटिका उद्यान योजना :

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रु. 11.05 लाख का प्रावधान किया गया है

पं. सुन्दरलाल शर्मा सफाई कामगार आवास योजना :

राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों को स्वयं के आवास उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत 50 वर्गमीटर भूखण्ड में 40 वर्गमीटर के आवास का निर्माण किया जाता है। योजना में 10 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी एवं 90 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में स्वीकृत की जाती है।

मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना :

मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना, राज्य शासन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत, सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर रु. 20,000 , दुर्घटना मृत्यु होने पर रु. 50,000 में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर रु. 50,000, दुर्घटना में हाथ-पांव, या एक आंख और एक पांव अक्षम होने पर 25,000 की बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को देय होती है।

बाबा गुरु घासीदास गंदी बस्ती उत्थान योजना :

इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों झुग्गी-झोपड़ी और गंदी बस्तियों में पेयजल, नाली, सड़क, सार्वजनिक शौचालय, विद्युत व्यवस्था, सामुदायिक भवन आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत राशि नगरीय निकाय को दी जाती है।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :

राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रु. 25,000/- की लागत से छोटी दुकान एवं रु. 6500/- की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारत न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है।

महिला समृद्धि बाजार योजना :

राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रुप में प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला

समृद्धि बाजार योजना प्रथम चरण में प्रदेश में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

श्यामाप्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना :

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष जो कम से कम 7वीं (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) आयु वर्ग की महिलाओं एवं पुरुषों का चयन कर विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन द्वारा उनके कौशल एवं दक्षता में वृद्धि कर उन्हें सम्मानजनक जीवकोपार्जन उपलब्ध कराना है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना :

प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 6 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है।

गोकुल नगर योजना :

नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रुप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना आरंभ की गई है।

राज्य प्रवर्तित नवीन योजनाएं :

विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आम जनता की सुविधा की दृष्टि से नवीन योजनाएं जनवरी 2006 से प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है -

प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना- द्वितीय चरण :

राज्य में सड़क मार्ग ही आवागमन के मुख्य साधन होने के कारण बस स्टैण्ड निर्माण करने हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना लागू की गयी थी। इस योजना में अनुभवों को देखते हुए अब शेष स्थानों पर बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर (प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना- द्वितीय चरण) बनाने का निर्णय लिया गया है।

सार्वजनिक प्रसाधन योजना :

नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय जैसी आवश्यक जन सुविधाओं की कमी को देखते हुए समस्त नगरीय निकायों में शत-प्रतिशत अनुदान देकर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है।

मुक्तिधाम निर्माण योजना :

शहरी क्षेत्र के सभी धर्मो के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी. रोड स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रु. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रु. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रु. 9.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है।

कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :

शहरों में निवासरत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओ/महिलाओ को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरुप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007-08 में लागू की गई है।

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :

वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रुप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक-एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रुप में विकसित किया जाए, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रु. 100,00 लाख, नगर पालिका परिषद को रुपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रुपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

दीनदयाल कृषक सुरक्षा बीमा योजना :

» 11 फरवरी 2009 को पंडित दीनदयाल उपाध्यय की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा में किसानों के लिये दीनदयाल कृषक सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा की। जो 1 अप्रेल 2009 से लागू की जायेगी। इसके तहत किसानों को अब सिर्फ 4 रुपये 20 पैसे में एक लाख रुपये तक बीमा सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेश कंपनी से 21 रु. प्रीमियम की वार्षिक किस्त पर राज्य शासन किसानो का दुर्घटना बीमा कराएगा जिसमें प्रीमियम की इस राशि में सिर्फ 4 रु. 20 पैसा का अंशदान किसानो के द्वारा दिया जायेगा। जबकि शेष 16 रु. 80 पैसे राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण :

» त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षित कर दी गई है। विदित हो कि पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन किया गया है।

मुख्यमंत्री शिशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार :

» अक्टूबर 2009 से भारत में छत्तीसगढ़ प्रथम ऐसा राज्य बन गया है जहाँ बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार के उत्पादन और उसके पैकेट तैयार करने का लघु और कुटीर उद्योग महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जा रहा है। राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के विशेष अभियान के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला स्व-सहायता समूह को मुख्यमंत्री शिशु शक्ति और मुख्यमंत्री महतारी शक्ति के ब्रांड नामों से पौष्टिक आहार बनाने का काम सौपने का निर्णय लिया है। विदित हो कि प्रदेश में इस संमय 34 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ :

» अगस्त 09 को एकमात्र स्थान बस्तर जिले के जगदलपुर परियोजना (विकासखण्ड जगदलपुर) में 'पायलेट प्रोजेक्ट' के रुप में धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करने व बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। योजना के सफल परिणाम आने पर इसे सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

किसान कॉल सेन्टर :

» छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं तथा शिकायतों का निराकरण करने हेतु राज्य शासन ने किसान कॉल सेन्टर की स्थापना की है। इस कॉल सेन्टर पर किसानों को 1551 नं. पर फोन करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

पांच हार्सपावर तक सिंचाई पंपो के लिए निःशुल्क बिजली :

» 02 अक्टूबर 2009 से छत्तीसगढ़ राज्य शासन राज्य के 1 लाख 39 हजार कृषि पंपो के लिए मुक्त बिजली प्रदान करेगी। विदित हो कि विगत 5 वर्ष में भाजपा शासन ने 1 लाख 39 हजार किसानों (समस्त वर्ग) को नई सिंचाई पंप कनेक्शन दिये है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण मेडिकल कोर योजना :

» 15 अगस्त 2009 से छत्तीसगढ़ शासन गाँवों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह योजना प्रारंभ किये है।

छत्तीसगढ़ी में आवेदन :

» छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता दी जाने के तहत् अब छत्तीगसढ़ी भाषा में भी आवेदन राज्य शासन के विभाग स्वीकार करेंगे। पुलिस विभाग छत्तीसगढ़ी भाषा में आवेदन पत्र स्वीकार करने वाला राज्य का प्रथम शासकीय विभाग बना।

आवश्यक वस्तु नियंत्रण आदेश 2009 राज्य में लागू :

» राज्य सरकार ने जरुरी वस्तुओं की कीमतो में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए मंहगाई और जमाखोरी पर अंकुश लगाते हुए छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश 2009 6 अगस्त 09 से राज्य में लागू कर दिया। इस नियंत्रण आदेश के तहत राज्य में दाल, चॉवल, खाद्य तेल के बीज और खाद्य आदि के व्यापार को नियंत्रित किये जाने के प्रावधान किये गये है।

शक्ति स्वरुपा योजना का शुभारंभ :

- राज्य में बस्तर संभाग के 4 जिलो बस्तर, दन्तेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर का चयन शक्ति स्वरुपा योजना के लिए किया गया है। अगस्त 2009 से प्रारंभ इस योजना में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाएगा। योजना में हितग्राही महिला यदि स्वयं का कोई व्यवसाय शुरु करना चाहती है तो वह जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकार समक्ष परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। उपयुक्त पाये जाने पर विभाग द्वारा ऋण के स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बैंक को प्रेषित किया जायेगा। व्यवसाय के लिए सब्सिडी की सीमा अधिकतम 30 हजार रु. तक होगी।

मकानों की दीवारों पर लिखे जाएंगे नाम :

- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में और भी अधिक पारदर्शिता लाने के लिए गरीबी रेखा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों के नाम उनके मकानों की दीवार पर लिखे जाएंगे। नाम के साथ 1 रु. किलो वाला चॉवल अथवा 2 रु. किलो वाला चॉवल भी अंकित किया जाऐगा।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना :

- आदिम जाति विकास विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्य के छात्रावासों में हर महीने कम से कम दो बार छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जायेगा।

ज्ञान ज्योति योजना :

- छत्तीसगढ़ के सभी 85 आदिवासी विकासखण्डों में 1 किमी. के दायरे में कम से कम 10 बच्चो पर एक नवीन प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए शुरु की गई योजना ज्ञान ज्योति योजना है।

छत्तीसगढ़ गौरव योजना :

- अमर स्वाधीनता सेनानी बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के गृह ग्राम कंडेल में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य शासन की छत्तीसगढ़ गौरव योजना की शुरुआत की।योजना के तहत प्रदेश के 57 गांव कोचयनित किया गया है ।

ग्रामीण इंजीनियर योजना :

- छत्तीसगढ़ में मामूली पढ़े लिखे ग्रामीण नौजवान भी अब 'इंजीनियरो' की तरह भवन निर्माण तथा घरेलू विद्युतीकरण जैसे कार्यों में स्वाभिमान के साथ स्वरोजगार हासिल कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना :

- हृदय रोग से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए इस तरह की योजना प्रारम्भ करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। इस योजना के तहत हृदय से सम्बन्धित सात प्रकार की बीमारियों का ईलाज किया जाता है। इस योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित एक वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक आयु समूह के बच्चों के हृदय का आपरेशन अनुबंधित निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। हृदय की शल्य क्रिया के साथ ही हृदय के वाल्व भी इस योजना के अन्तर्गत बदले जाते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गरीबी रेखा का कोई बंधन नहीं रखा गया है कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के जरूरतमंद बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है।

मछुआरा आवास योजना :

- इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के पांच जलाशयों पर मछली पकड़ने वाले और मछलीपालन करने वाले मछुआरों को आवास, पेयजल आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मछुआरा आवास योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत कोरबा जिले के हसदेव बांगो, महासमुंद जिले के कोडार, बिलासपुर जिले के खुंटाघाट और खुड़िया जलाशयों के समीप मछुआरों के लिए मकान का निर्माण किया जा रहा है।

ग्रामोत्थान योजना :

- छत्तीसगढ़ में पशुपालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से ग्रामोत्थान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमों में स्थानीय चरवाहों को शामिल कर राज्य सरकार द्वाराउन्हें पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान और देशी नाटों के बधियांकरण पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यह योजना 2008-09 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना से राज्य के डेढ़ लाख से अधिक चरवाहे लाभान्वित होंगे।

किसान समृद्धि योजना :

- राज्य शासन द्वारा किसानों के खेतों में नलकूप खनन कर पम्प स्थापित करके सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए चलाई जा रही किसान समृद्धि योजना का दायरा बढ़ाकर उसे अब प्रदेश के 110 विकास खण्डों में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप खनन और पम्प स्थापना पर कुल 43 हजार रूपयें की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी।

आदर्श कृषि ग्राम मुनुंद

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित विकासखण्ड धरमजयगढ़ के आदिवासी बहुल ग्राम मुनुंद को आदर्श कृषि ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्राम मुनुंद में कृषि के साथ उद्यानिकी, फार्म फारेस्ट्री, पशुधन व मत्स्यपालन के अनेकों क्रियाकलापों को समग्र रूप से संचालित कर किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा मे कार्य किया जा रहा है। इस ग्राम का चयन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत आदर्श कृषि ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है।

ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान :

- पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण गरीब युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जायेगा इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण संस्थान अगस्त 2009 से प्रारम्भ किये जा रहे हैं। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर में यह प्रशिक्षण संस्थान पूर्व में ही प्रारम्भ किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ अमृत नमक निःशुल्क वितरण की अभिनव योजना :

- प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों एवं गरीबों को नमक के नामपर होने वाले शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए केवल 25 पैसे प्रतिकिलों की दर से आयोडीनयुक्त छत्तीसगढ़ अमृत नमक वितरण की अभिनव योजना 26 जनवरी 2004 से प्रारंभ। रियायती दर पर नमक वितरण की यह देश में अनूठी पहल। 15 अगस्त, 2004 से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को प्रतिमाह दो किलो नमक वितरित किया जा रहा था, अब 1 अप्रैल 2009 से यह अमृत नमक निःशुल्क प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

देश का पहला गौ मूत्र बैंक -

छत्तीसगढ़ में देश का पहला गौ मूत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है। बैंक पशुपालक के पांच रुपये प्रति लीटर की दर से गौ मूत्र खरीदेगा। किसानों को गाय पालन के लिए प्रोत्साहित करने की नीति के तहत गौ मूत्र बैंक की स्थापना की जा रही है। इससे पशुपालक को प्रति गाय गौ मूत्र से रोजाना 25 से 35 रुपये की आमदनी होगी।

राइट टू फूट एक्ट शीघ्र :

- 23 जुलाई 2009 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा देने भोजन का अधिकार (राइट टू फूट एक्ट) कानून शीघ्र बनाया जा रहा है। यह कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा।
- प्रदेश के साढ़े तीन लाख निःशक्तों के लिए निःशक्तजन वित्त विकास निगम के गठन का निर्णय। निःशक्तों को 50 हजार रूपए तक ऋण बिना ब्याज व गारंटर के दिया जाएगा। छत्तीसगढ़, यह निगम गठित करने वाला तीसरा राज्य है। श्रीमती सरला जैन इसकी प्रथम अध्यक्ष है।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना :

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2008 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत ए.पी.एल. एवं बी.पी. एल.कार्ड धारकों को क्रमशः एक रूपये तथा 2 रूपये में 35 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है। नवीन व्यवस्था के तहत 30चावल के साथ-साथ उसी दर पर 5 किलो गेहूँ भी मिलेगा। राज्य में 8 जुलाई को 'चावल उत्सव' मनाया जायेगा।

बायोगैस *- इसे सुलभ ऊर्जा भी कहा जाता है। प्राणियों के उत्सर्जित पदार्थ, पौधे व उद्योगो के अवशिष्ट को डायजेस्टर पर कम से कम ताप पर चलाया जाता है जिससे माइक्रोव निकलते इससे बायोगैस ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को घरो में खाने पकाने व प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग में लिया जाता है। बायोगैस का उपयोग प्रदेश के छोटे-छोटे गाँवों में होने लगा है।*

छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड *- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 28 जुलाई 2004 को औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड की स्थापना की गई है।*

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता जागरण पुरस्कार योजना (सितम्बर 09) :

- छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर विभाग की अभिनव योजना के अन्तर्गत राज्य की किसी वस्तु की खरीदी के समय क्रय बिल लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु केवल उपभोक्ता ही पात्र होंगे। राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार तीन लाख रूपये का होगा एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कर्त्ता दो लोग होंगे जिन्हें एक-एक लाख रूपये का पुरस्कार प्राप्त होगा। तृतीय- तीन लोग प्रत्येक को पचास हजार, चतुर्थ - पांच लोग प्रत्येक को पचीस हजार रूपये एवं पंचम पुरस्कार - दस लोग प्रत्येक को दस हजार रूपये प्राप्त होगा।

भागीरथी नल जल योजना :

- 10 सितम्बर 2009 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत राज्य के शहर की तंग बस्तियों में रहने वाले ढ़ाई लाख गरीब परिवारों को मुक्त में नल कनेक्शन दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ - प्रदेश मे आदिवासी एवं गरीब लोगों के जीविकोपार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 30 अक्टूबर सन् 2000 को किया गया। वनोपज संघ द्वारा मुख्य रुप से विनिर्दिष्ठ वनोपज जैसे- तेन्दुपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद (कुल्लू, खैर, बबूल, एवं धावड़ा) का संग्रहण कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण, संरक्षण, प्रसंस्करण तथा विपणन आदि कार्य भी कराये जा रहे है।

- **मेक्रोमेनेजमेंट वर्क प्लान : एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (धान आधारित फसल पद्धति)** : धान सफल की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से यह योजना पूरे राज्य में लागू है। इस योजनान्तर्गत प्रजनक बीज खरीदी, बीज उत्पादन, बीज वितरण, पोषक तत्व, प्रदर्शन, कृषि उपकरण एवं प्रशिक्षण घटकों के अंतर्गत कृषकों को अनुदान एवं सहायता प्रदान की जाती है।
- **गन्ना आधारित फसल पद्धति विकास कार्यक्रम** : यह योजना प्रदेश में गन्ना के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत कृषकों को गन्ना प्रजनक बीज खरीदी, बीज उत्पादन, बीज खरीदी, कृषि आदान, कृषि उपकरण एवं प्रशिक्षण पर अनुदान दिया जाता है।
- **संतुलित एवं समन्वित उर्वरक उपयोग** : उर्वरकों के संतुलित उपयोग कृषि की उत्पादकता एवं सतत् विकास के लिए अतिआवश्यक है। इस योजनान्तर्गत मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रदर्शन, स्वायल हेल्थ कार्ड एवं सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक सल्फेट) अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराये जाते है।
- **आइसोपाम दलहन** : इस योजनान्तर्गत दलहनी फसलों के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को प्रजनक बीज खरीदी, आधार एवं प्रमाणित उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, जैव नियंत्रण, पौध संरक्षण औषधि, नींदानाशक तथा बीजोपचार औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाईप, ब्रॉडकास्टर, बैल चलित यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराना साथ ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु कृषकों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
- **आइसोपाम तिलहन** : इस योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को प्रजनक बीज खरीदी, आधार एवं प्रमाणित उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, जैव नियंत्रण, पौध संरक्षण औषधि, नींदानाशक तथा बीजोपचार औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाईप, ब्रॉडकास्टर, बैल चलित यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराना साथ ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु कृषकों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम - छत्तीसगढ़ गठन पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन 1 मई 2001 को किया गया। वन विकास निगम के अधीन 190496.054 हेक्टेयर वन क्षेत्र वन विभाग से लीज पर लिया गया है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के वनो का लगभग 3 प्रतिशत है। निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के कम उत्पादक वाले वन क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंको से ऋण लेकर मूल्यवान सागौन एवं बाँस के वन तैयार कर वनों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना है।

***ग्रामीण विद्युतीकरण** - छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक ग्राम में प्रकाश एवं पम्प की व्यवस्था की तहत एक विशद अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। मार्च 2004 के अन्तिम आँकड़ों के अनुसार राज्य के 18,545 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।*

***छत्तीसगढ़ में संयुक्त वन प्रबंधन :-** जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश के कुल 20308 ग्रामों के वन क्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित है। राज्य शासन के संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी संकल्प अक्टूबर 2001 के अनुसार तथा संशोधित संकल्प 2007 में इन ग्रामों में वनो के धनत्व के आधार पर वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया। राज्य में 7887 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से वनो की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के 33190 वर्ग किलोमीटर में सफलता पूर्वक किया जा रहा है।*

- **आइसोपाम मक्का :** इस योजनान्तर्गत मक्का फसलों के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को प्रजनक बीज खरीदी, आधार एवं प्रमाणित उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, जैव नियंत्रण, पौध संरक्षण औषधि, नींदानाशक तथा बीजोपचार औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाईप, ब्रॉडकास्टर बैल चलित यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराना साथ ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु कृषकों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
- आत्मा : कृषि के स्थाई व एकीकृत विकास तथा कृषकों की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि एवं सम्बद्ध विभाग यथा पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन, सहकारिता द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर पर उपयुक्त योजनाएं तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु आत्मा (एग्रीकल्चरल टेक्नालॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) एक स्वायत्तशाही संस्था है जिसमें कृषि अनुसंधान प्रसार को कृषक लिंकेज के आधार पर गांव स्तर पर ही आंकलन कर योजना कृषक समूह निर्माण कर संचालित की जाती है।

सौर ऊर्जा- इस ऊर्जा संसाधन का स्रोत सूर्य है। प्रदेश मे सौर्यिक ऊर्जा का उत्पादन वृहद पैमाने पर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश दिन सूर्य प्रकाश मिलता है। यह ऊर्जा स्रोत जल संसाधन की तरह अक्षय एवं प्रदुषण रहित एवं सस्ता है। प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम द्वारा भोजन पकाने तथा पम्प चलाने, घरेलू प्रकाश, रेडियो व दूरदर्शन चलाने तथा सौर पथ प्रकाश हेतु तकनीकी का विकास किया गया है। जिसका यहाँ ग्रामीण अंचलों में उपयोग होने लगा है। यहाँ दुर्ग जिले में सबसे अधिक सूर्च चालित सिंचाई पम्प लगाये गये है। राजनांदगाँव एवं दुर्ग जिलो के गवरगाँव, कुल्हाड़ीघाट, सोमा, बंजारी आदि ग्रामों में सामुदायिक सौर प्रकाश संयंत्र स्थापित किये गये है। इसी तरह कोरबा जिले के ग्रओाम केन्दई में भी सामुदायिक सौर प्रकाश संयंत्र की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना :

- **किसान समृद्धि योजना :** वृष्टिछाया क्षेत्र के लिये राज्य शासन की महत्वाकांक्षी किसान समृद्धि योजना प्रदेश के 5 जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम एवं राजनांदगांव के 25 विकासखण्डों में लागू है, नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन हेतु सामान्य कृषकों को 25000/- एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को 43000/- रुपये अनुदान देय है। योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में 4000 नलकूप खनन लक्ष्य के विरुद्ध 3430 नलकूपों का खनन पूर्ण हो चुका है।
- लघु सिंचाई (नलकूप) योजना : प्रदेश के कृषकों को नलकूप के माध्यम से निजी सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 18000/- रुपये अनुदान को बढ़ाकर 25000/- रुपये अनुदान की नलकूप योजना संचालित है। इस वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित लक्ष्य 6000 के विरुद्ध 2815 नलकूपों का खनन पूर्ण हो चुका है।
- शाकम्भरी योजना : सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषक विशेषकर सब्जी उत्पादक कृषकों को 5 हार्स पावर तक के विद्युत एवं डीजल पंप क्रय करने पर इकाई लागत रु. 15500 पर 75 प्रतिशत अनुदान एवं कुंआ निर्माण हेतु इकाई लागत रु. 34200 पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।
- **लघुत्तम सिंचाई योजना :** वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु छोटे तालाब तथा भू-जल स्तर में वृद्धि करने के लिये परकोलेशन टैंक/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण की लघु सिंचाई योजना। योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में 262 तालाब निर्माण किया जा रहा है।
- सूरजधारा : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को दहलनी एवं तिलहनी फसलों के आधार/प्रमाणित बीज के उपयोग के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से संचालित इस योजना में आधार/प्रमाणित बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- **नापेड विधि से गोबर/ कम्पोस्ट खाद तैयार करने का कार्यक्रम :** भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को 1200/- रुपये, अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को 800/- रुपये तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को 400/- रुपये प्रति टांका अनुदान दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ बायो- फ्यूल विकास प्राधिकरण (सी.बी.डी.ए.) *प्रदेश में जाट्रोफा (रतनजोत), करंज व अन्य बीजों से बायो फ्यूल उत्पादन के कार्य को बढ़ावा देने के लिये ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायो- फ्यूल विकास प्राधिकरण (सी.बी.डी.ए.) का गठन 26 जनवरी 2005 को किया गया है। इसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं व अन्य सभी सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष सदस्य हैं। प्राधिकरण को व्यापक अधिकार सौपे गये हैं। बायोडीजल के विकास के साथ ही प्राधिकरण के अन्य उद्देश्य ग्रामीण आय में वृध्दि, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र/राज्य का कच्चा तेल आयात लागत में कमी लाना व फ्यूल के क्षेत्र में आत्म निर्भरता लाना है।*

- **वानस्पतिक ईधन विकास कार्यक्रम** : बंजर एवं पड़ती भूमि में बायोफ्यूल पौधरोपण कर डीजल प्राप्ति एवं अतिरिक्त आमदनी के उद्देश्य से योजना क्रियान्वित।
- **रामतिल योजना** : राज्य में रामतिल के उत्पादन में वृद्धि के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों को योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में 1246 कृषि यंत्र वितरित किये गये।
- **राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम** : वर्षा आश्रित क्षेत्र में भूमि एवं जल को संरक्षित, संवर्धित करते हुये कृषि के एकीकृत विकास की योजना। जिसमें भूमि/जल संरक्षण के साथ-साथ फसल विधियों के विकास, फसल उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि के प्रयोग, उद्यान एवं चारागाह विकास, गृह वाटिका विकास तथा स्व.-सहायता समूहों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा रहे है।
- **नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मूलन योजना** : महानदी पर बने हीराकुण्ड बांध के कैचमेंट में जल एवं भूमि संरक्षण का कार्य कर सील्ट डिपाजिट को कम कर बांध की आयु बढ़ाने की दृष्टि से योजना प्रदेश के राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम एवं बिलासपुर जिलों में संचालित।
- **आइसोपाम योजना** : दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु आइसोपास योजना संचालित है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं-भौतिक प्रगति

- **राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना** : कृषि में रसायनों के अंधाधुंध एवं अनियमित प्रयोग से भूमि एवं मानव स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव को बचाने एवं काश्त लागत को कम कर उच्च गुणवत्तायुक्त फसल उत्पादन हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम स्वीकृत।
- **राष्ट्रीय फसल बीमा योजना** : प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना राज्य में लागू। जिसके अंतर्गत प्रमुख फसलें जैसे-धान सिंचित/असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, गेहू सिंचित/असिंचित, अलसी, राई-सरसों चना एवं आलू फसलों के लिये फसल बीमा का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से मई 2001 में अभिकरण का गठन किया गया। केन्द्र सरकार के अपारंपरिक स्रोत मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को नोडल एजेंसी को रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रदेश मे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण (क्रेडा) द्वारा किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग- छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोग का गठन विद्युत क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एस.के.मिश्र बनाये गये थे एवं द्वितीय अध्यक्ष मनोज डे है। आयोग के प्रमुख कार्यों में विद्युत दरों की अवधारणा, विद्युत पारेषण, वितरण एवं व्यापार के लिये लायसेंस प्रदान करना उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, विद्युत क्षेत्र में गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण कर उनका पालन करना इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन एवं सह उत्पादन को बढ़ावा देना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के घर-घर में बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन -

उद्देश्य- फसल चावल, गेहूं एवं दलहन के क्षेत्र एवं उत्पादकता में वृद्धि

1. इस योजना अंतर्गत चावल के क्षेत्र एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु जिला दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, रायपुर, सरगुजा, कोरबा, कोरिया, राजनांदगांव एवं रायगढ़ को शामिल किया गया है।
2. दलहन क्षेत्र एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु जिला बिलासपुर, दुर्ग, जशपुर, कबीरधाम, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा को शामिल किया गया है।

अध्याय - 10

जाति सत्यापन हेतु क्या करें ?

जाति सत्यापन किये जाने हेतु आवेदन भरने होते है जो कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर से निःशुल्क प्राप्त होती है। आवेदन में परिवार संबंधी पूर्वजों/ गोत्र/ नाते रिस्तेदार /परंपरागत व्यवसाय आदि बहुत सारी जानकारीयाँ भरनी होती है। सुलभ सुविधा हेतु आवेदन प्रारुप संलग्न है। संलग्न प्रारूप अनुसार जानकारी संकलितकर सत्यापन हेतू आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में आवेदन पत्र पुर्तिकर जमा किया जाता है।

आवेदन का प्रारुप

प्रति,

उपाध्यक्ष एवं संचालक, छत्तीसगढ़ शासन
जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन बाबत्।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ..... बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेव्हलपमेंट तथा अन्य याचिका डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर बनाम लावेती गिरी के निर्णय में समस्त राज्य सरकारों को दिये गये दिशा-निर्देश सह पठित छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. /824/सा.प्र.वि./ आ.प्रा./एक/ दिनांक 14.02.2001 के परिपालन में मुझे ..... हेतु अपनी जाति-पत्र का सत्यापन कराना है।

2. अनुविभागीय अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर ..... जिला ..... छ.ग. द्वारा दिनांक ..... की मुझे जारी किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संलग्न है।

3. मेरे पूर्वजों की जाति, पिछड़ा वर्ग संबंधी राष्ट्रपति नोटिफिकेशन दिनांक को वे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा के मूल निवासी थे, इसे सत्यापित करने हेतु ''सबूत'' के रुप में निम्नांकित अभिलेख संलग्न है :-

   3.1 समिति के निर्धारित प्रपत्र में मेरे तथा पूर्वजों जो रिश्तेदारों के संबंध में जानकारी।
   3.2 पिता/पूर्वजों के मिसल अभिलेख की सत्यापित प्रति।
   3.3 पिता/पूर्वजों के स्कूल दाखिल-खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति।
   3.4 पूर्वजों के शैक्षणिक अभिलेख के सत्यापित प्रति।
   3.5 पिता/पूर्वजो के जाति प्रमाण पत्र।
   3.6 पिता/ पूर्वजों के निवास प्रमाण पत्र।
   3.7 मेरे पिता/पूर्वज दिनांक 26.12.1984 के पूर्व छ.ग. के मूल निवासी थे, तत्संबंधी सबूत अभिलेख .....

4. मेरे पिता के समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु..... है। (आय प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

5. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सत्य हैं। असत्य होने पर भा.द.सं. की धारा 420 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 94 के निर्णय के कंडिका 14 एवं 15 के तहत मुझ पर कार्यवाही किया जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : .....

(नाम .....)
पिता का नाम .....
ग्राम/कस्बा .....
तहसील .....
जिला .....
पिन कोड ..... (छत्तीसगढ़)

प्रारुप

छत्तीसगढ़ शासन

जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति,

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

रायपुर (छत्तीसगढ़)

"जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र"

1. जाति प्रमाण पत्र धारक की सामान्य जानकारी -

1.1 आवेदक का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) : .....

1.2 आवेदक के पिता का नाम एवं उपनाम : .....

1.3 आवेदक के पिता के पिता (दादाजी) का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) : .....

1.3.1 आपके दादाजी कहां के मूल निवास थे : ग्राम .....
तह. .....
जिला .....
राज्य .....

1.4 आवेदक की माता का नाम एवं उपनाम : .....

1.5 आवेदक की मां के पिताजी (नानाजी) का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा गोत्र : .....

1.6 आवेदनकर्ता यदि महिला है तो पति का नाम उपनाम सहित (स्पष्ट अक्षरों में) : .....

2. निवास स्थान

2.1 आवेदक का वर्तमान निवास स्थान :-

2.1.1 ग्राम/कस्बा/शहर : .....

2.1.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : .....

2.1.3 विकासखण्ड : .....

2.1.4 तहसील : .....

2.1.5 जिला : .....

2.1.6 राज्य : .....

2.2 आवेदक का स्थाई निवास स्थान (मूल निवास स्थान)

2.2.1 ग्राम/कस्बा/शहर : .....

2.2.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : .....

2.2.3 विकासखण्ड : .....

2.2.4 तहसील : .....

2.2.5 जिला : .....

2.2.6 राज्य : .....

2.3 आपके पिता उक्त स्थाई पते पर कब से निवासरथ थे/ है : .....

2.4 (अ) आपका जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग का है ? .....हाँ/नहीं

(ब) यदि हां तो क्या आपका जन्म दिनांक 26.12.1984 के पूर्व का है ? .....हाँ/नहीं

(स) ब हाँ हो उक्त अंकित दिनांक को आपका मूल निवास स्थान कहां था, पूरा पता लिखें।

2.4.1 ग्राम/कस्बा/शहर : .....

2.4.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : .....

2.4.3 विकासखण्ड : .....

2.4.4 तहसील : .....

2.4.5 जिला : .....

2.4.6 राज्य : .....

2.5 यदि आपका जन्म उक्त बिन्दु 2.4 (ब) में अंकित दिनांक के बाद का है तो आपका जन्म दिनांक अंकित करें : .....

2.6 यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो दिनांक 26.12.1984 को आपके पिता/ पूर्वज कहां के मूल निवासी थे ?

2.6.1 ग्राम/कस्बा/शहर : .....

2.6.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : .....

2.6.3 विकासखण्ड : .....

2.6.4 तहसील : .....

2.6.5 जिला : .....

2.6.6 राज्य : .....

(उक्त की पुष्टि के रुप में अपने पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र/ पिता/पूर्वजों के राजस्व (मिसल) अभिलेख/ पिता/पूर्वजों के शैक्षणिक अभिलेक या अन्य तत्कालीन अन्य दस्तावेज प्रमाण का सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

2.7.1 आपके पिता जी छतीसगढ़ में कब से निवासरत हैं : .....

2.7.2 आप छत्तीसगढ़ में कब से निवासरत हैं : .....

3. शैक्षणिक जानकारी

3.1 स्वयं की शैक्षणिक जानकारी : .....

3.1.1 शैक्षणिक योग्यता : .....

3.1.2 संस्थायें जहां से आपने शिक्षा प्राप्त किया है : .....

क्र.	विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर	महाविद्यालयीन माध्यमिक
1	2	3	4	5	6
1.	संस्था का नाम				
2.	ग्राम/कस्बा/शहर				
3.	विकासखण्ड				
4.	तहसील				
5.	जिला				
6.	राज्य				
7.	शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष				

3.2 माता तथा पिता की शैक्षणिक जानकारी

3.2.1 माता शिक्षित हैं या अशिक्षित : .....

शिक्षिक हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता : .....

3.2.2 पिता शिक्षित हैं या अशिक्षित : .....

यदि शिक्षित हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता : .....

3.2.3 आपके पिताजी ने जिस शैक्षणिक संस्था से : .....

प्रारंभिक/ प्राथमिक परीक्षा पास की है तो उस : .....

शैक्षणिक संस्था का नाम व पूरा पता : .....

3.2.4 आपकी माताजी किस शैक्षणिक संस्था से प्रारंभिक : .....

प्राथमिक परीक्षा पास की है उस शैक्षणिक संस्था : .....

का नाम व पूरा पता : .....

3.2.5 आपके दादा जी शिक्षित थे या अशिक्षित : .....

4. आपके परिवार एवं निकट संबंधियों का छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी संपत्ति (कृषि भूमि संबंधी जानकारी)

4.1 पिता के नाम में कृषि भूमि है अथवा नहीं हाँ/नहीं

4.2 यदि कृषि भूमि है/ थी तो उसका रकबा एवं : .....

स्थान का पूरा पता लिखिये : .....

4.3 क्या आपके पिता के पिताजी (दादाजी) के

नाम पर छत्तीसगढ़ में भूमि थी अथवा है हाँ/ नहीं

4.4 यदि है तो उसका एकबा एवं पूर्ण विवरण पता दीजिए : .....

: .....

4.5 आपकी माताजी के पिताजी (नानाजी) के

नाम पर छत्तीसगढ़ में भूमि थी/ है हाँ/नहीं

4.6 यदि हाँ तो उसका रकबा एवं पूरा पता दीजिये : .....

5. जातिगत जानकारी

5.1.1 आपके पिता की जाति : .....

5.1.2 उपजाति : .....

5.1.3 गोत्र : .....

यदि प्रमाण पत्र धारक यदि महिला हो तो :-

5.2.1 आपके पति का नाम : .....

5.2.2 उपनाम (सरनेम) : .....

5.2.3 जाति : .....

5.2.4 गोत्र : .....

6. जातिगत व्यावसायिक जानकारी (अर्थोपार्जन के साधन)

6.1 आपकी जाति का परंपरागत व्यवसाय : .....

6.2 आपके पिताजी का व्यवसाय (अर्थोपार्जन) : .....

6.3 आपके पिता के पिताजी का व्यवसाय (अर्थोपार्जन) : .....

6.4 आपकी माताजी के पिता का व्यवसाय : .....

6.6 आपके पति/पत्नी के आजीविका के साधन : .....

7. सामाजिक, धार्मिक एवं रीति-रिवाज संबंधी जानकारी

7.1 आपकी मातृभाषा : .....

7.2 क्या आपकी जाति की अलग बोली है हाँ/नहीं

यदि हाँ तो कौन सी : .....

7.3 आपकी कुलदेवी/ कुलदेवता का नाम : .....

7.4 आपकी जाति के के प्रमुख देवी/देवता का नाम : .....

7.5 आपकी जाति के लोकनृत्यों का नाम : .....

7.6 आपकी जाति के लोकगीतों का नाम : .....

7.7 आपकी जाति के प्रमुख त्यौहारों का नाम : .....

7.8 आपकी जाति में वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है ? : .....

7.9 क्या आपकी जाति में दहेज प्रथा प्रचलित है ? : .....

7.10 उन जातियों के नाम/ गोत्र लिखिये जिनके साथ आपके जाति के लोगों का वैवाहिक (बेटी लेन-देन) संबंध होता है। : .....

7.11 उन जातियों के नाम लिखिए जिनसे आपकी जाति का रोटी संबंध (खान-पान) होता है। : .....

7.12 आपकी जाति के समकक्ष जातियों के नाम : .....

8. धर्म

8.1 आपके पिता का धर्म : .....

8.2 आपका धर्म : .....

9. आपके निम्नलिखित रिश्तेदारों के संबंध में पूर्ण जानकारी दीजिये :-

क्र.	विवरण	पिता के भाई	माता के भाई	मौसा	पिता के बहन का पति	पत्नि के पिता
1	2	3	4	5	6	7
9.1	नाम					
9.2	जाति					
9.3	उपजाति					
9.4	गोत्र					
9.5	व्यवसाय					
9.6	निवास ग्राम/कस्बा					
9.7	तहसील					
9.8	जिला					

मैं सत्यनिष्ठ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक :

स्थान :

(जाति प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम एवं पता .....

( )

अध्याय - 11

आयोग की संरचना एवं बजट

संरचना :- छ.ग. शासन के आदेश क्र. 413/1560/07/25-2/अ.जा.वि. (दिनांक 18.01.07) राज्य शासन के एतद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 अध्याय-2 की कंडिका 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री नारायण चंदेल निवासी-जांजगीर-चांपा को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही छ.ग. शासन के आदेश क्र. 413/1580/07/25-2/अ.जा.वि. (दिनांक 08.02.07) राज्य शासन के एतद द्वारा श्री लोचन पटेल निवासी-प्रेमनगर, सिकोलाभांठा, जिला-दुर्ग को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नियुक्त करता है। पुनः छ.ग. शासन के आदेश क्र. 413/1629/07/25-2/अ.जा.वि. (दिनांक 28.02.08) राज्य शासन के एतद निम्नानुसार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्यों को नियुक्त किया गया।

क्र.	नाम/ स्थान	पद
01.	डॉ. गणेश कौशिक, रायपुर	सदस्य
02.	श्री देवेन्द्र जायसवाल, दुर्ग	सदस्य
03.	श्री प्रहलाद रजक, बेमेतरा	सदस्य
04.	श्री सोमनाथ यादव, बिलासपुर	सदस्य
05.	श्री नंदकुमार साहू, रायपुर	सदस्य

इस तरह छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम कार्यकाल में अध्यक्ष सहित सात सदस्य नियुक्त हुये। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आयोग में छ.ग. शासन के आदेश क्र./25-2/ आजाकवि/ 2006 रायपुर, दिनांक 14 जून, 2006 को राज्य शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर हेतु पद संरचना स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार कुल 12 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत / रिक्त		रिमार्क
				भरे	रिक्त	
1.	सचिव	8000-13500	01	01	-	नियमित
2.	सहा. अनु. अधिकारी	8000-13500	01	01	-	नियमित
3.	निज सचिव	6500-10500	01	01	-	नियमित
4.	निज सहायक	5500-9000	02	02	-	नियमित
5.	सहायक ग्रेड-02	4000-6000	01	01	-	नियमित
6.	सहायक ग्रेड-03	3050-4590	02	02	-	नियमित
7.	भृत्य	कले. दर पर	04	04	-	कले. दर पर

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्र. एफ-19-30/ 25-1 2008, दिनांक 21.06.2010 को स्वीकृत सेटअफ में अतिरिक्त 3 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत / रिक्त		रिमार्क
				भरे	रिक्त	
1.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	01	01	-	नियमित
2.	वाहन चालक	5200-20200	01	01	-	नियमित
3.	चौकीदार	4750-7440	01	01	-	नियमित

बजट :-

वर्ष 2009-10 में प्राप्त अनुदान राशि में से 46,24,543/- रु. (अक्षरी में छियालीस लाख चौबीस हजार पांच सौ तीरालीस रुपये) निम्नानुसार मद में व्यय किये गये है जिसका व्यय विवरण निम्नानुसार है :-

आय

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
1.	प्रारंभिक बचत	16,29,703
2.	आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर से प्राप्त	81,00,000
3.	आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर से प्राप्त	9,00,000
4.	वर्ष में ब्याज प्राप्त	3,61,870
कुल योग राशि		1,09,91,573

व्यय

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
1.	कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं दैनिक मजदूरी	17,00,371
2.	यात्रा भत्ता दौरा	54,466
3.	स्थानांतरण पर व्यय	6,353
4.	डाक तार व्यय	8,000
5.	दूरभाष	51,016
6.	फर्नीचर एवं उपकरण	5,10
7.	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	4,42,142
8.	बिजली एवं जल प्रभार	20,950
9.	स्टेशनरी व्यय	58,578
10.	अन्य आकस्मिक व्यय	22,989
11.	पेट्रोल एवं वाहन किराया	2,20,950
12.	कार्यालय किराया महसूल कर	1,26,540
13.	कार्यालय व्यय	58,304
14.	प्रचार-प्रसार	18,48,974
15.	मशीन उपकरण	4,400
16.	बैंक में बचत	63,67,030
	कुल योग राशि	1,09,91,573

अध्याय - 12

अन्य पिछड़ा वर्ग से छत्तीसगढ़ के अनमोल रत्न

बिलासा दाई केवटिन :

बिलासा केवटिन का जन्म अरपा नदी के किनारे हुआ था। 16वीं शताब्दी में अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध बिलासा मछुवारों की बस्ती में जन्मी अत्यंत रुपवान केंवट कन्या थी।

बिलासा से संबंधित लोक कथाओं में उल्लेख है कि एक बार किसी राजा ने उनके स्वाभिमान पर प्रहार करना चाहा जिसका बिलासा माता ने सम्मानजनक प्रतिउत्तर दिया। देवार गीतों में बिलासा के श्रृंगार का विवरण मिलता है-

'खोपा पारय रिंगी-चिंगी
ते मां खोंचय सोन के सिंगी'

केवटिन के काव्यात्मक कथन में तत्कालीन समाज का चरित्र और स्वभाव उभरता है, जिसमें सोलह जातियों का साम्य सोलह जाति की मछलियों से बताते हुए, केवटिन की सामाजिक संरचना की समझ और वाकपटुता उजागर होती है।

केवट जाति में पैदा होना तथा मत्स्याखेट में संलग्न रह कर इतिहास में चर्चित होने के वजह से समाजवासियों के मध्य वह आज भी सम्मानित है। बिलासा के नाम पर ही बिलासपुर नगर का नामकरण माना गया है। बिलासा केंवटिन के प्रेरक व्यक्तित्व की स्मृति में राज्य के मछुवारों के विकास एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासाबाई केंवटिन सम्मान स्थापित किया है।

व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय :

छत्तीसगढ़ का व्याकरण लिखकर छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ को गौरव प्रदान करने वाले महापुरुष मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय के ऋण को छत्तीसगढ़ कभी नहीं चुका सकता। श्री प्यारेलाल जी गुप्त ने जिन छत्तीसगढ़ के सप्तर्षियों का उल्लेख किया है उनमें हीरालाल काव्योपाध्याय का प्रथम स्थान है। मुंशी हीरालाल जी का जन्म सन् 1856 में रायपुर में एक सम्पन्न कुर्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू बालाराम तथा माता का नाम राधाबाई था।

धमतरी में उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। अपनी सेवाओं तथा योग्यता के कारण धमतरी के नागरिकों में वे अत्यंत लोकप्रिय हो गये। धमतरी की जनता उन्हें अत्यंत आदर और स्नेह की दृष्टि से देखती थी। उनकी लोकप्रियता के प्रमाण स्वरुप वे धमतरी नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गये। धमतरी में ही उन्होंने सन् 1885 में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ छत्तीसगढ़ी व्याकरण की हिन्दी में रचना की। छत्तीसगढ़ी का व्याकरण हीरालालजी ने उस समय लिखा जब खड़ी बोली का कोई अच्छा-सा व्याकरण उपलब्ध नहीं था। उनका यह ग्रंथ प्रसिद्ध भाषाशास्त्री सर जार्ज ग्रियर्सन को इतना पसंद आया कि उन्होंने इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद सन् 1890 में बंगाल एशियाटिक सोसायटीज जर्नल में प्रकाशित कराया। यह छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य था कि अक्टूबर 1890 में राज्य के अनमोल रत्न व्याकरणाचार्य हीरालाल जी का देहावसान 34 वर्ष की अत्यंत अल्पायु में ही हो गया।

राष्ट्रपुत्र रामप्रसाद देशमुख :

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना की मशाल प्रज्ज्वलित करने वाले प्रमुख नेताओं में एक महत्वपूर्ण नाम राम प्रसाद जी देशमुख का है। दुर्ग जिले के पिन कापार नामक ग्राम के एक सामान्य कृषक परिवार में सन् 1878 में जन्म लेकर रामप्रसाद देशमुख ने अपने निष्ठापूर्ण कर्मठ जीवन से छत्तीसगढ़ के मुख को सदैव उज्जवल रखने का प्रयास किया।

सन् 1914 में ही उन्होंने दुर्ग में वकालत आरंभ की। शीघ्र ही उनकी गणना सफल वकीलों में की जाने लगी। सन् 1921 में रामप्रसाद जी देशमुख ने गांधी जी के आह्वान पर वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गये।

रामप्रसाद देशमुख ने राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए भी जीवन भर प्रयास किया। यह कार्य दुर्ग जिले में सहकारिता आन्दोलन के विस्तार के माध्यम से किया। वे दुर्ग में सहकारिता आन्दोलन के पुरोधा थे। जिला सहकारी बैंक के संस्थापकों मे से थे। सन् 1935 में उनके अथक प्रयासों से दुर्ग जिला भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई।

दि. 11 फरवरी 1944 को उनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रामप्रसाद देशमुख ने छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय चेतना के लिए जिस समर्पित भावना से जीवन भर निष्ठापूर्वक सेवा की आज सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ उन्हें नमनः करता है।

दाऊ गनपत सिंह चन्द्रवंशी :

कवर्धा राजनांदगांव जिले में आजादी के पहले एक छोटी सी रियासत थी। इस रियासत के अन्तर्गत एक ग्राम किरौनी के मालगुजार थे गनपत सिंह चन्द्रवंशी। उनके पिता का नाम तखतसिंह चन्द्रवंशी था। गनपत सिंह मेधावी छात्र थे। उन्हें रियासत से छात्रवृत्ति मिलती थी। किन्तु यह छात्रवृत्ति उन्होंने एक अन्य गरीब छात्र को दिलवा दी। गनपत सिंह जी ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कवर्धा रियासत में प्रथम बार राष्ट्रीय चेतना की मशाल जलाई। उन्होंने गांव-गांव घूम-घूम कर असहयोग आन्दोलन के सिद्धांतों का प्रचार किया। पहली बार कवर्धा की ग्रामीण जनता ने तिरंगे झंडे का दर्शन किया और राष्ट्र की आजादी के संघर्ष का महत्व समझा।

गनपत सिंह जी ने लगान न देने तथा शासन में पूर्णता असहयोग करने का आह्वान किया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गयी और स्वदेशी भावना का जम कर प्रचार हुआ। छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता आंदोलन में गनपतसिंह चन्द्रवंशी द्वारा मृत्युपर्यंत तक आजादी की पवित्र भावना के लिये संघर्ष किया गया जिसका आज हम नमन करते हैं। सन् 1935 में उनका निधन हो गया। अपना घर-बार सम्पत्ति लुटाकर भी वे जीवन भर देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे।

महान् वीरांगना : रोहणी बाई परगनिहा :

स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाओं में, श्रीमती रोहिणी बाई पत्नी श्री माधव प्रसाद परगनिहा जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिये अर्पित किया हमेशा-हमेशा के लिये याद किया जाता रहेगा। 12 वर्ष की उम्र में सन् 1932 में प्रथम बार कारागृह में बंद की गई। चूंकि पति श्री माधव प्रसाद परगनिहा भी राष्ट्रीय आजादी के रणवाकुरों में से एक थे। उनकी आज्ञानुसार आज की मालवीय रोड स्थित कीका भाई की दूकान पर पिकेटिंग करना है। पहन ली खादी की साड़ी और तैयार हो गईं

1942 का आंदोलन था। जेल में 7 महिलाओं थीं। साथ में रायपुर जिले से अन्य कई बहिनें थी। रोहणी बाई को पं. जवाहरलाल नेहरुजी के निकट जाकर कार्य करने का अवसर भी मिला था। नशाबंधी के काम से डॉ. सुशीला नैयर के बुलाने पर वृद्धावस्था में दिल्ली भी गई। इस तरह अपना पूरा जीवन, आजादी के संग्राम में फूंक दिया।

स्वाधीनता सेनानी : केकतीबाई बघेल :

सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक एवं पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन के जन्मदाता डॉ. खूबचंद बघेल की माताश्री थीं। केकतीबाई बघेल को सन् 1932 में अंग्रेजी शासन ने गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया क्योंकि सत्याग्रह के पीछे उनकी अटूट निष्ठा थी। अस्पृश्यता निवारण के कार्य के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। सत्याग्रहियों का जमघट उनके घर रहता था- इससे सभी वर्ग, वर्ण और धर्म के लोग रहा करते थे। सभी की रसोई साथ बनती। उनके घर की रसोई की प्रभारी, अस्पृश्य कहलाने वाले परिवार की कन्याएं होती थी। सच पूछिए तो मातेश्वरी केकतीबाई का घर गांधी जी का आश्रम हो जान पड़ता था।

विचारणीय है जिस तरह माँ ने बेटे को सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता और कर्मठता की सीख दी उसी प्रकार बेटे ने माँ के हृदय में देशभक्ति एवं समाजसेवी की लौ जगा दी। केकतीबाई का ममत्व सब पर था। अपना बेटा हो अथवा किसी वर्ग, वर्ण व धर्म का सत्याग्रही हो, सब पर ममत्व की वर्षा होती थी। ऐसे प्यार पाने वाले उनके बेटे-बेटियों की संख्या हजारों में थी। देशभक्ति और समाजसेवा का संस्कार देने वाली माँ केकतीबाई की अमर कहानी, युगों-युगों तक देशभक्ति और समाज सेवा की प्रेरणा बनी रहेगी।

प्रखर सेनानी : डॉ. खूबचन्द बघेल :

छत्तीसगढ़ में जन जागृति लाने में डॉ. खूबचन्द बघेल का योगदान महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने निष्ठापूर्वक संघर्ष किया। डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई 1900 ई. को रायपुर जिले के पथरी ग्राम में हुआ था उसके पिता श्री जुड़ावन सिंह बघेल परिश्रमी कृषक थे। डॉ. खूबचंद बघेल की माता श्रीमती केतकी बाई स्वयं स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थी वे कई बार जेल भी गई। सन् 1930 में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन का आह्वान किया तब देशभक्त डॉ. साहब ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े।

सन् 1932 में डॉ. साहब रायपुर नगर में चल रहे पिकेटिंग के कार्यक्रम को सफल बनाने में लग गये। 15 फरवरी 1932 को वे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिये गये। ठाकुर प्यारेलाल सिंह तथा यति यतनलाल जी के साथ उन्होंने गांव-गांव का दौरा करके हरिजनोद्धार के लिये ग्रामीणों में चेतना जागृत की। उन्होंने हरिजनोद्धार समस्या को लेकर एक नाटक 'ऊंच-नीच' लिखा, जिसे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में खेला गया।

सन् 1947 में देश आजाद हुआ। डॉ. साहब प्रांतीय शासन में पार्लियामेंट सेक्रेटरी नियुक्त हुये। किन्तु शीघ्र ही उन्हें इस पद से त्यागपत्र दे दिया और जनसेवा में लग गये। उनकी रुचि गांधी जी के रचनात्मक कार्यो में अधिक थी। सिलियारी ग्राम में उन्होने ग्रामोद्योग संघ का निर्माण किया, धानी, धान कुटाई, साबुन उद्योग आदि कुटीर उद्योगों की स्थापना कर उसके उत्पादन, प्रशिक्षण तथा संचालन का कार्य आरंभ किया।

सन् 1951 के आम चुनाव में वे विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे सन् 1951 से 1962 तक प्रांतीय विधानसभा के सदस्य रहे और विरोधी दल के स्तम्भ बने रहे। सन् 1965 में वे राज्यसभा सदस्य निर्वाचित भी हुए। सन् 1956 में उन्होने राजनांदगांव में 'छत्तीसगढ़ी महासभा' संगठित की। सन् 1967 में उन्होने 'छत्तीसगढ़ी मातृ संघ' की स्थापना की। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनता और किसानों में वे अत्यधिक लोकप्रिय थे उन्होंने अनेक किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया। दिनांक 22 फरवरी 1969 को 1 बजे दोपहर को दिल्ली में इस लोकप्रिय नेता का हृदय रुकने से निधन हो गया। डॉ. साहब की गणना छत्तीसगढ़ के महान सपूतों और देशभक्तों में होती है। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को गति देने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। छत्तीसगढ़ी महासभा और छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ के माध्यम से उन्होने छत्तीसगढ़ के हितचिंतकों को संगठित किया। आज सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ उन्हें सादर नमनः करता है।

जुझारु अनन्तराम बर्छिहा :

अनन्तराम जी बर्छिहा का जन्म दिनांक 28 अगस्त सन् 1890 को रायुपर जिले के चन्दखुरी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम हिन्छाराम तथा माता का नाम यशोदा बाई था।

आर्थिक दृष्टि से समर्थ होने के पश्चात उनकी रुचि सार्वजनिक-हितों की ओर जागृत हुई। इस कार्य में भोला प्रसाद जी गिरोधवाले से उन्होने प्रेरणा ली। जब रायपुर में 'भोला कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास' के निर्माण का निर्णय लिया गया तब अनन्तराम जी ने घर-घर जा कर दान एकत्र किया। जातिगत तथा समाजगत रुढ़ियों तथा अन्धविश्वासों पर प्रहार करने वालों में अनन्तराम जी अग्रणी थे। बर्छिहा जी छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम के प्रखर सैनिक बने जिन्होने असहयोग आन्दोलन से लेकर भारत छोड़ो आन्दोलन तक अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। वे राष्ट्रीय आन्दोलन के रचनात्मक व सकरात्मक कार्यो के संचालन में भी संलग्न रहे।

गांव-गांव पैदल घूम-घूम कर उन्होने असहयोग आन्दोलन की ज्योति जलाई। सत्याग्राहियों और स्वयं सेवकों का संगठन खड़ा किया। चन्दखुरी को ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन का केन्द्र बनाया। उनके नेतृत्व में चन्दखुरी तथा आस-पास के गावों में झंडा फहराने, जुलूस निकालने, सभा करने तथा शराब की दुकानों पर पिकेटिंग का कार्यक्रम तेजी पर था।

आजादी के लिये उन्होने अपना जीवन अर्पित कर दिया था। 1947 में आजादी मिल भी गई। जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका था। 22 अगस्त 1956 को इस त्यागवीर और संघर्षशील सेनानी का निधन हो गया आज सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ उन्हें सादर नमनः करता है।

प्रखर प्रहरी चन्दूलाल चन्द्राकर :

चन्दूलाल चन्द्राकर का जन्म 1 जनवरी 1921 को दुर्ग जिले के निपानी गांव के कृषक परिवार में हुआ। आप बाल्यावस्था से ही मेधावी रहे। दुर्ग में प्रारंभिक शिक्षा के दौरान साहित्य व खेलकूद के प्रति आपका रुझान हो गया था। अंचल से आपको बेहद लगाव था तथा ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने में भी आप सदैव तत्पर रहते थे। राजनीति के पूर्व आप सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से आप अभ्यस्त पत्रकारों जैसी सधी पत्रकारिता करने लगे।

1945 से पत्रकार के तौर पर आपकी ख्याति होने लगी। आपके समाचार हिन्दुस्तान टाइम्स सहित देश-विदेश के अन्य अखबारों में प्रकाशित होने लगे। आपको नौ ओलंपिक खेलों और तीन एशियाई खेलों की रिपोर्टिंग का सुदीर्घ अनुभव रहा। राष्ट्रीय अखबार दैनिक हिन्दुस्तान में संपादक के रुप में आपने सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक पद पर पहुंचने वाले आप प्रथम थे। युद्धस्थल से भी आपने निर्भीकतापूर्वक समाचार भेजे। आपने विश्व के लगभग सभी देशों की यात्रा पत्रकार के रुप में की।

1970 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के साथ ही सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने की शुरुआत हुई और लोकसभा हेतु पांचबार निर्वाचित हुए। पर्यटन, नागरिक उड्डयन, कृषि, ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री का दायित्व संभालते हुए आपने देश की सेवा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रुप में आप सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष रह कर राज्य आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। अपनी लेखनी से ज्वलंत मुद्दे उठाने, बहस की गुंजाइस तैयार करने वाले पत्रकारों में चन्दूलाल चंद्राकर को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। 2 फरवरी 1995 को आपका निधन हुआ। निर्भीक पत्रकारिता से छत्तीसगढ़ का नाम देश में रोशन करने वाले व्यक्तित्व से नई पीढ़ी प्रेरणा ग्रहण करे और मूल्य आधारित

पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में चन्दूलाल चन्द्राकर फेलोशिप स्थापित किया है।

कला- ऋषि श्री रामचंद्र देशमुख :

छत्तीसगढ़ की लोककला के प्रति सर्वस्व समर्पण कर अपना जीवन खपा देने वाले कला मनीषी का नाम है - रामचंद्र देशमुख। उनके लिये कला मनोरंजन का माध्यम नहीं था। छत्तीसगढ़ की पहचान क्या है, यह उन्होंने लोककला के माध्यम से बताने का जीवन भर प्रयास किया। इस व्यापक धरातल पर उन्होंने लीक से हटकर कला यात्रा की थी।

उनका सम्पूर्ण जीवन एक कला यात्री का जीवन था। वे कला ऋषि थे। रामचन्द्र देशमुख ने 'चंदैनी गोंदा' नामक जो छत्तीसगढ़ी कला मंच बनाया वह छत्तीसगढ़ क्षेत्र का अब तक का सबसे लोकप्रिय -जनप्रिय संस्थान बना। सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में इसे अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई। कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी की पवित्र सेवा कलाऋषि श्री रामचंद्र देशमुख ने की।

रामचंद्र जी देशमुख वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने लोककला मंच से छत्तीसगढ़ी के साहित्यकारों को जोड़कर एक नई दिशा दी। साहित्यकार भी लोकमंच की ओर आकर्षित हुए और उसके प्रति अपने दायित्व के प्रति जागरुक हुए।

रामचंद्र देशमुख जी ने परम्परागत लोक मंच के विकास की आधुनिक और मौलिक अवधारणा के जनक थे। छत्तीसगढ़ के इस महान् कलाऋषि ने अपना सम्पूर्ण जीवन छत्तीसगढ़ की परम्परा व संस्कृति को समर्पित कर इस अँचल को सुविख्यात-सुवासित-सुरभित कर दिया। आज सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ उन्हें सादर नमनः करता है।

स्वाधीनता सेनानी श्रीमती भानाबाई यादव :

राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन के प्रारंभिक युग से प्रभावित, स्वतंत्रता-संग्राम सेनानियों से संस्कारित गांव सारागांव में भाना बाई का जन्म हुआ था। बचपन से ही राष्ट्रीय भावना जाग चुकी थी। जुलुसों में भाग लेतीं। प्रभात फेरियों में गीत गाती। इनकी शादी ररुहा यादव से हुई। धरजभाई के रुप में वे ससुराल में रहने लगे। भानाबाई का प्रभाव पति पर पड़ा। वे खादी पहनते और चरखा कातते। जुलूसों में भाग लेते। पति-पत्नी कांग्रेस सेवा दल के सैनिक हो गए। 1942 के आन्दोलन में कूद पड़े तथा रायपुर केन्द्रीय जेल मे बंदी बना दिये गए।

भानाबाई यादव व उनके पति जेल से बाहर आते ही कांग्रेस के माध्यम से जन-सेवा में लग गए। जीविका के लिये गो-पालन का काम करने लगे। एक छोटी सी होटल खोल ली। जीविका के दोनों धंधे श्रोत बने। भानाबाई को कोई संतान नहीं थी। गांव के बच्चों को ही अपनी संतान समझती थी। गांव में बच्चों को हाईस्कूल तक पढ़ाई का इंतजाम हो, यादव दम्पति ने अपना होटल मय सामान एवं मकान स्कूल कोष के लिए दान दे दिया। आज भानाबाई नहीं है पर आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा।

माटी पुत्र महंत बिसाहू दास :

महंत बिसाहू दास उन महान् विभूतियों में एक थे जिन्होने अप्रतिम, संघर्षपूर्ण और सामर्थ्यवान जीवन के पथ पर अविचल चलते रहे। वे अपने सद्व्यवहार व श्रेष्ठतम कार्यों से आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रुप से समाज को अनवरत् नव संदेश तथा अभिनव दृष्टि प्रदान करते रहे।

महंत बिसाहू दास का जन्म 1 अप्रैल 1924 को बिलासपुर जिले के चांपा तहसील के ग्राम सारागाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कुंजराम एवं माता का नाम श्रीमती गायत्रीदेवी था। महंत बिसाहू दास पनका जाति वर्ग से थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पनका जाति के प्रायः सभी लोग कबीर पंथी समुदाय से संबंधित है। महंत बिसाहू दास ने प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर जिले से एवं नागपुर के मॉरिस कॉलेज से स्नातक एवं एल.एल.बी. की डिग्री लॉ कॉलेज नागपुर से प्राप्त की।उच्च शिक्षा के उपरांत महंत जी 1950 में नगरपालिका हाईस्कूल चांपा के प्रभारी मुख्याध्यापक के पद की जिम्मेदारी निभायी। सन् 1952 के विधानसभा चुनाव से उनकी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई और वे बिलासपुर जिले के बाराद्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनें। महंत जी ने अविभाजित म.प्र. में श्रम, हरिजन कल्याण और उद्योग एवं वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभागो के मंत्री भी रहे। 1977 में महंत जी मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (इ) के अध्यक्ष भी चुने गये। उनकी राजनीतिक यात्रा दूरदर्शिता एवं गंभीर आयामो से परिपूर्ण थी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पिछड़ी जातियों के उद्धार व उत्थान का कार्य महंत बिसाहू दास ने एकाग्रचित होकर किया। महंत जी ने बिलासपुर जिले के बुनकरो तथा लघु उद्योग धंधे को समृद्ध करने के लिए उत्कट प्रयास किया जिससे फलस्वरुप आज चांपा व रायगढ़ का कोसा उद्योग राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के इस अनमोल रत्न का देहावसान 23 जुलाई 1978 को हो गया। यद्यपि महंत बिसाहू दास आज जीवित नहीं लेकिन उनका यशरुपी शरीर आज भी विद्यमान है।

नगर माता बिन्नी बाई सोनकर :

श्रमजीवी परिवार में जन्मी बिन्नीबाई सोनकर को आज प्रदेश में नगर माता के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सोनकर समाज का मुख्य व्यवसाय साग-भाजी उत्पादन करना है। इनका जीवन बहुत ही सात्विक होता है। बिन्नीबाई को यह संस्कार उन्हें अपने माँ-बाप एवं समाज से मिला।

बिन्नीबाई करुणा की मूर्ति हैं। स्वाभाविक रुप से संग्रह की वृत्ति सभी में पाई जाती है पर दानवृत्ति विरलों में ही मिलेगी। बिन्नीबाई उन्हीं में से एक थी। जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कालेज अस्पताल रायपुर के परिसर में धर्मशाला का अभाव था गरीब परिवार से आए मरीजों के परिवार, रिश्तेदारों को इलाज के समय रुकने की बड़ी ही कठिनाई थी। इस तरफ, बिन्नीबाई का ध्यान गया तथा उनका हृदय द्रवित हो उठा। अन्ततः अपने स्वजनों से परामर्श ली एवं धर्मशाला निर्माण हेतू पिता स्व. श्री घुटरुराम सोनकर से प्राप्त 1 एकड़ की बाड़ी जहाँ सब्जी उत्पादन करती थीं- जो आज शहर के बीच पड़ती है 8 लाख रुपये में विक्रय कर दी और तुरंत धर्मशाला निर्माण बाबत जमा कर दी। धर्मशाला के पास एक अन्य 5 कमरों वाला धर्मशाला निर्माण हेतु 5 लाख रुपये उन्होने और दिए। इसके लिये प्रमुख मार्ग पर स्थित अपने मकान को बेंच डाला। बिन्नीबाई ने धर्मार्थ बाबत कुशालपुर की खेती भी विक्रय कर दी और एक तपस्विनी की भांति कच्चे मकान में रहती थी एवं निःस्वार्थ जनसेवा में लगी रहती थी। धर्म के प्रति आस्था थी। उन्होने मंदिर निर्मित करवाया एवं शाला भवन का निर्माण अपने स्वयं की भूमि पर की। यह विद्यालय, नगर में बिन्नी बाई सोनकर प्राथमिक विद्यालय रामकुण्ड के नाम से जाना जाता है।

नगर की जन आकांक्षा ने उन्हें नगर माता की उपाधि दी तथा शासन ने उनकी सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए उन्हें मिनीमाता समाज सेवा पुरस्कार के दो लाख रुपये की राशि से सम्मानित किया था।

अध्याय - 13

छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रमुख पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के नाम, पते एवं दूरभाष

(1) राज भवन - राज्यपाल सचिवालय (2) विधानसभा का सचिवालय (3) छ.ग. के मंत्रिमंडल (4) छ.ग. के लोकसभा सदस्य (5) छ.ग. के विधानसभा सदस्य (6) छ.ग. शासन के प्रमुख विभाग

राजभवन

महामहिम राज्यपाल श्री शेखरदत्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल

2331100-05 (का.) 2331105,2331100 (नि.) (फैक्स - 2331108)

राज्यपाल का सचिवालय

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय दूरभाष-फैक्स	निवास दूरभाष	निवास स्थान का पता
(1)	(2)	(3)	(4)
जवाहर श्रीवास्तव राज्यपाल के प्रमुख सचिव	2331102 2331104	2521329	सी-2/12, देवेन्द्र नगर, रायपुर
मेजर रूचिर पाण्डे राज्यपाल के परिसहाय	2331100 2331105	2331347	इंद्रावती परिसर, राजभवन रायपुर

विधानसभा का सचिवालय

श्री धरम लाल कौशिक अध्यक्ष	2283611,12 मो. 94252 03300 2331028 फै.	2331029	स्पीकर हाऊस, ए-1, शंकर नगर रोड, रायपुर
श्री देवेन्द्र वर्मा सचिव	2283616 2283615 फै.	2283740 मो. 94252-03301	ई-1, विधान नगर, आवासीय परिसर, रायपुर

नेता प्रतिपक्ष

श्री रविन्द चौबे नेता प्रतिपक्ष	2283624 2331064 (फै.)	2331055 मो. 94252-34400	सी-05, शांतिनगर, रायपुर

उच्च न्यायालय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ महाधिवक्ता कार्यालय

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय दूरभाष-फैक्स	निवास दूरभाष	निवास स्थान का पता
(1)	(2)	(3)	(4)
मा. मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	223020	235770 406936	बंगला नं. ए-67, मुख्य न्यायाधिपति निवास, 27 खोली चौक, बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
श्री राजीव गुप्ता मा. न्यायाधिपति एवं का. अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	220055	251765 220022	''श्याम सदन'', तिलक नगर, बिलासपुर
श्री धीरेन्द्र मिश्रा मा. न्यायाधिपति	220033	233199	बंगला नं. ए-1, वेयर हाउस रोड, बिलासपुर
श्री सुनील कुमार सिन्हा मा. न्यायाधिपति	403363	403753 235235	
श्री सतीश के. अग्निहोत्री मा. न्यायाधिपति	226610	400157 231330	हाउस रोड, बिलासपुर बंगला नं. बी-46, सिविल
श्री टी.पी. शर्मा मा. न्यायाधिपति	411103	401568 223795	लाईन, बिलासपुर बंगला नं. बी-23, वेयर हाउस
श्री नवलकिशोर अग्रवाल मा. न्यायाधिपति	411102	421850 220001	रोड, बिलासपुर आशीर्वाद, ग्रीन पार्क कॉलोनी,
श्री प्रीतिंकर दिवाकर मा. न्यायाधिपति	422207	410001 424450	जरहाभाटा, बिलासपुर बंगला नं. 28, नेहरु चौक,
श्री रंगनाथ चन्द्राकर मा. न्यायाधिपति	422208	220013 403252	बिलासपुर पुराना सागौन बंगला,
श्री राजेश्वर लाल झंवर मा. न्यायमूर्ति छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण	0771-2223410	220015 2262497	नेहरु चौक, बिलासपुर बी.-53, लोकमान्य सोसायटी, रोहणीपुरम, रायपुर
श्री अरविन्द श्रीवास्तव रजिस्ट्रार जनरल	226010 मो. 94252-20880	220011	बंगला नं. बी-50, सिविल लाईन, बिलासपुर
श्री प्रशांत मिश्रा महाधिवक्ता	223650 मो. 98271-12398	227070	विद्यानिकेतन, हंसा विहार बिलासपुर
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग			
न्यायामूर्ति **श्री सुभाषचंद्र व्यास** अध्यक्ष (रा.उ.वि.प्र.आयोग)	2582901	2444667	ई/1, शंकरनगर, रायपुर
श्री ए.के. पाठक रजिस्ट्रार (रा.उ.वि.प्र.आयोग)	2582902	-	सृष्टि गार्डन, रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग			
श्री ए.के. विजयवर्गीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	0771-4024406 2442132 फै.	2331012 2331412 4024234	डी-5, सिविल लाईन, रायपुर
श्री एल.एन. सूर्यवंशी सचिव	0771-2444151	2262145	एच.आई.जी.-1 मकान नं. 506 5 वीं मंजिल बी. ब्लाक प. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग			
श्री बी.एल. ठाकुर अध्यक्ष	0771- 2420153	2883781	डी.1/10, शासकीय आवासीय परिसर, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री जेवियर तिग्गा सचिव	'' 2331525 2429564	2880044	ई. 2/27, शासकीय आवास परिसर, देवेन्द्र नगर, रायपुर

राज्य निर्वाचन आयोग

श्री पी.सी. दलई राज्य निर्वाचन आयुक्त	2236235 4031555 2221210	2521007 94242-02360	सी-1/3, देवेन्द्र नगर, आफिसर्स कालोनी, रायपुर
श्री डी.डी. सिंह सचिव 2221210	2236830 99774-73000	2445195	डी-1, शंकरनगर रोड, रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक आयोग

जस्टिस श्री एल.सी. भादू प्रमुख लोकायुक्त	2221826	2886811	सी-1/2 ऑफिसर कॉलोनी देवेन्द्रनगर , रायपुर
श्री टी.सी. महावर सचिव	2221856		प्रो. कॉलोनी, रिंग रोड रायपुर

राज्य मानव अधिकार आयोग

श्री व्हा. के.एस. ठाकुर सदस्य (कार्य. अध्यक्ष)	2235524	2254550	डी-1 इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर, रायपुर
श्री एल.एन. नाग सचिव	2235594	2446177	एफ-1 शांतिनगर, रायपुर

मुख्यमंत्री कार्यालय

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कक्ष क्रमांक	पी.बी. एक्स	कार्यालय दूरभाष	निवास दूरभाष/मो.	निवास स्थान का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री एन. बैजेन्द्र कुमार प्रमुख सचिव	308	-	2221308 4080308	2882808 मो. 94252-07775	डी-1/5, देवेन्द्र नगर , रायपुर
श्री के. सुब्रमणियम सचिव	322	-	2221322 4080322	2331660 मो. 98261-48944	डी-1/4, देवेन्द्र नगर,रायपुर
श्री अमन कुमार सिंह विशेष सचिव	313	-	2221304 4080793	2521053 मो. 98262-89600	डी-1/20, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री सुबोध कुमार सिंह संयुक्त सचिव	-	-	2221001 4080575	2882350 मो. 94252-05424	डी-1/19, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री विक्रम सिसोदिया ओ.एस.डी.	-	-	4080307 4080307	2331700 मो. 94255-17757	डी-2/11, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री ओ.पी. गुप्ता निज सचिव	306		2221000 2221001	94252-46597 94242-25848	पेंशनबाड़ा, रायपुर

छत्तीसगढ़ मंत्रि-परिषद् के माननीय मंत्रीगण

नाम व पद	विभाग	कक्ष क्रमांक	पी.बी. एक्स नं.	कार्यालय दूरभाष	निवास दूरभाष	निवास का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मा. डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उर्जा, खनिज साधन, जनसम्पर्क, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, विमानन, खनिज,	303	303	4080303 2331001 2221000	2221001 2443399	बी-5/2, मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन, रायपुर.
मा. श्री ननकी राम कंवर मंत्री	गृह ,जेल एवं सहकारिता	319	319	4080319 2221318	2881502 2331503	धरोहर, बी-5 जेल रोड, रायपुर 94858-24718
मा. श्री बृजमोहन अग्रवाल मंत्री	लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति, संसदीय कार्य एवं पर्यटन	226	226	4080226 2221226 2236212 फै.	2331011 2331070	बी-5/1, शंकर नगर रायपुर.
मा. श्री अमर अग्रवाल मंत्री	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यकर,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास	109	109	4080539 2221109	2331020 2331021	सी-4, शंकर नगर रोड, सिविल लाइन, रायपुर.
मा. श्री रामविचार नेताम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, विधि और विधायी कार्य सिविल लाइन, रायपुर.	-	-	4080321 2221321	2445561 2331777 फै.	एस-38, पुराना एस.पी. बंगला,
मा. श्री चन्द्रशेखर साहू मंत्री	कृषि, पशुपालन, मछलीपालन एवं श्रम	104	904	4080904 2221104	2331326 4057836	बी- 5/ 10 शंकर नगर, रायपुर
मा. श्री पुन्नूलाल मोहले मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन	216	907	4080907 2221349	2445655 2445855	सी- फारेस्ट कालोनी रायपुर
मा. श्री हेमचंद यादव मंत्री	जल संसाधन, आयाकट, उच्च शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी	-	-	4080527 2221221	2331611 2331612 0788-	डी-1, मधुपिल्ले चौक, निलांचल भवन, शांति नगर, रायपुर.
मा. श्री विक्रम उसेण्डी मंत्री	वन विभाग, सार्वजनिक उपक्रम जन शिकायत निवारण	223	223	4080223 2221223	2331030 2331031	बी- 9, सिविल लाइन, रायपुर
मा. सुश्री लता उसेंडी मंत्री	महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण	222	203	4080222 2221201	2521688	ई-2/25-26, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर.

मा. श्री राजेश मूणत मंत्री	नगरीय प्रशासन, आवास, पर्यावरण एवं परिवहन	351 द्वितीय तल	904	4080316 2221316	2331065 2331066	सी-8, सिविल लाइन, रायपुर.
मा. श्री केदार कश्यप मंत्री	आदिम जाति तथा अनु., विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	906	106	4080906 2221106	2331032 2331033	सी-3, फॉरेस्ट कॉलोनी, राजातालाब, रायपुर.
मा. श्री दयालदास बघेल मंत्री	वाणिज्य एवं उद्योग,			97559-86272 94252-21905		सी-1, ई.ए.सी. कालोनी रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव

मा. श्री सिद्धनाथ पैकरा संसदीय सचिव	-	-	-	4058129	07776 272827	सी-2/ 19 आनंद नगर, रायपुर
मा. श्री भरत साय संसदीय सचिव	-	182	-	2221182	2331019	डी-4, फारेस्ट कालोनी रायपुर.
मा. डॉ. सियाराम साहू संसदीय सचिव	-	-	-	4058233	4050506 4050508	सी-2/18, शांति नगर, रायपुर
मा. श्री कोमल जंघेल संसदीय सचिव	-	297	-	4058455	4033755	सी- 1/10, आनंद नगर, रायपुर
मा. श्री भैयालाल रजवाड़े संसदीय सचिव	-	-	-	4080560	07836 266480	डी- 5, शंकर नगर, रायपुर
मा. श्री महेश गागड़ा संसदीय सचिव	-	350	350	4025526	4042205	डी- 7, शंकर नगर, रायपुर
मा. श्री विजय बघेल संसदीय सचिव	-	102	-	4080532	2331436	डी-6,सिविल लाइन, रायपुर
मा. श्री ओमप्रकाश राठिया संसदीय सचिव	-	-	-	4098160	2423626 2430004	डी- 4, फारेस्ट कालोनी, रायपुर
मा. श्री युद्धवीर सिंह संसदीय सचिव	-	-	-	4080573	94255- 61150	सी-1, एन आई टी परिसर, रायपुर

राज्यसभा के माननीय सदस्य

सदस्य का नाम	दल का नाम	कार्यालय का दूरभाष/फैक्स क्रमांक	निवास दूरभाष	निवास का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्री नंद कुमार साय	भा.ज.पा.	94252-70444		176, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली
श्री मोतीलाल वोरा	कांग्रेस	011-24623838	24651313	33, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली
श्री शिवप्रताप सिंह	भा.ज.पा.	011-23012733	98681-81641	7, साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली
श्री श्रीगोपाल व्यास	भा.ज.पा.	011- 23092265	98681-81397	49, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली
श्रीमती मोहसिना किदवई	कांग्रेस	011-23327275 23327276	98681-81165 93017-25821	80, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ राज्य के संभाग/ जिला प्रमुखो के दूरभाष

क्र.	अधिकारी का नाम	संभाग	एसटीडी कोड	कार्यालय	निवास
1.	श्री मनोहर पाण्डेय	रायपुर	0771	2536660	2880524
2.	श्री आर.पी. जैन	बिलासपुर	07752	220564	220561
3.	श्री एम.एस. पैकरा	सरगुजा	07774	241401	222600
4.	श्री मनोज कुमार पिंगुआ	बस्तर	07782	221190	228119

क्र.	जिलों के नाम	एस.टी.डी. कोड	कलेक्टर	पुलिस अधीक्षक	मु.का.प. अधि.जि.पं.	सहा.आयुक्त
1.	रायपुर	0771	2426024	4240304	2426739	2426831
2.	धमतरी	07722	237592	238262	232501	232142
3.	महासमुंद	07723	222540	223500	223834	223912
4.	दुर्ग	0788	2322655	2322071	2210536	2323655
5.	राजनांदगांव	07744	226236	226399	224060	225158
6.	कबीरधाम	07741	232134	232375	232895	233158
7.	बिलासपुर	07752	223344	223330	223993	225545
8.	जशपुर	07763	223226	223240	223633	223657
9.	रायगढ़	07762	222103	223333	222032	222158
10.	जांजगीर-चांपा	07817	222208	222153	222996	286519
11.	सरगुजा	07774	220701	220604	220679	222707
12.	कोरबा	07759	222886	224500	224300	226543
13.	कोरिया	07836	232721	232223	232885	232859
14.	बस्तर	07782	222693	222336	222428	222520
15.	दन्तेवाड़ा	07856	252455	252224	252522	252441
16.	कांकेर	07868	241222	222059	241282	241831
17.	नारायणपुर	07781	252216	252255	----	----
18.	बीजापुर	07853	220022	220392	----	----

लोकसभा के माननीय सदस्य

सदस्य का नाम	दल का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	कार्यालय का दूरभाष/फैक्स क्रमांक	निवास दूरभाष	निवास का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री रमेश बैस	भा.ज.पा.	रायपुर	011-23014804 23795278 98681-80572	-	सी-1/8 तिलक लेन, पटियाला हाऊस के पीछे, नई दिल्ली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री विष्णुदेव साय	भा.ज.पा.	रायगढ़	011-23092402 98681-80143	-	70, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली
श्री दिलीप सिंह जूदेव	भा.ज.पा.	बिलासपुर	011-23792442 98681-81442	-	17, जी. आर. जी. रोड नई दिल्ली
श्री बलिराम कश्यप	भा.ज.पा.	बस्तर	011-23782357 98681-80086	-	22, जनपथ, नई दिल्ली
श्री सोहन पोटाई	भा.ज.पा.	कांकेर	011-23093567 98681-80227	-	172, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली
सुश्री सरोज पांडे	भा. ज. पा.	दुर्ग	090131-80149	-	107,छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
डॉ. चरणदास महंत	कांग्रेस	कोरबा	- 98681-80888	-	157, साऊथ एवेन्यू नई दिल्ली
श्रीमती कमला पाटले	भा. ज. पा.	जांजगीर-चांपा	90131-80139	-	101, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
श्री मुरारीलाल सिंह	भा. ज. पा.	सरगुजा	011- 46092500 90131-80169	-	छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली -
श्री चन्दूलाल साहू	भा. ज. पा.	महासमुंद	90131-80400	-	327, व्ही. पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली
श्री मधुसूदन यादव	भा. ज. पा.	राजनांदगांव	90131-80361	-	104, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
श्रीमती इंग्रिड मैक्लॉड	(मनोनीत छत्तीसगढ़-सांसद)		011-23093122 98681-80652	-	202, नार्थ एवेन्यु नई दिल्ली

मंत्रालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारीगण

नाम एवं पदनाम	पी बी एक्स	कक्ष क्रमांक	कार्यालय दूरभाष	निवास दूरभाष	निवास का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री पी. जाय. उम्मेन मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन	207 208	207	2221207 2221208 4080207 फै.	4050977 2881004 98266-22633	सी-1/3, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री सरजियस मिंज अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	388	2221260 4080260 4080388	2445026 2331616 94252-07260 मो.	21/376 सिविल लाईन, रायपुर
श्री विवेक ढाँड प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा आयुक्त सह-संचालक श्रम	317	317	4080317 2221317 2221163 फै.	2427592 2242466 94252-07775	क्वा. नं. 5/10, सेक्टर 9, भिलाई (दुर्ग)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री डी.एस. मिश्र प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन कृषि उत्पादन आयुक्त	236	383	4080236 2221307 2221441 फै.	0788-2210157 94252-05120 मो.	म. नं.डी-3, सड़क नं. 19, सेक्टर-9, भिलाई, जिला दुर्ग
श्री अजय सिंह प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग, वाणिज्यिक कर, (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग	-	163	2221363 4080962 2221150 फै.	2331014	ई-8, बॉटल हाउस के पास, शंकर नगर, रायपुर
श्री एन.के. असवाल प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन जेल, परिवहन एवं परिवहन आयुक्त	445	384	2221338 4014145 2221447 फै.	2331335 94060-20200	सी.-1/7, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री एम. के. राउत प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग	226	-	2234110 4080266	2331067	बी-12, सिविल सिविल लाइन रायपुर
श्री एन. बैजेन्द्र कुमार प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन मान. मुख्य मंत्री, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा आयुक्त, जनसम्पर्क	-	308	2221308 4080308	2882808 4036178 फै. 9425287055	डी-1/5 देवेन्द्र नगर रायपुर
श्री आर. एस. शर्मा प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन (विधि)	-	-	4080346 2221346 फै.	2521033	डी-1/9, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर

सचिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री सुनील कुजूर सचिव,छ.ग. शासन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त	349	256	2221020 4080349	2425091 94252-08500 मो.	ई-3, महिला पॉलिटेक्निक परिसर बैरन बाजार, रायपुर
श्रीमती रेणु जी पिल्ले जनगणना आयुक्त	337	337	4080337 4028651	2331016	एफ-3, पी. एच.ई. कालोनी सिविल लाईन, रायपुर
श्री सी. के. खेतान सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग	228	-	2221228 4080228	2331122 94255-06663	सी-2/11, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री आर. पी. मंडल सचिव, छ. ग. शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग	261	261	4080261	2883738	सी-1/6, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री जवाहर श्रीवास्तव सचिव, छ.ग. शासन, महामहिम राज्यपाल एवं नगरीय प्रशासन	209	210	2221259	2882205	डी-1/3, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री कौशलेन्द्र सिंह सचिव, छ.ग. शासन वन विभाग	950	150	2221204	2524212	डी-2/24, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री पी. रमेष कुमार पदेन सचिव, छ. ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा आयुक्त उद्योग विभाग	954	154	4080954 2221154 फै.	4268836 2881033 9981122779	डी-1/11, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर
डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता एवं गृह विभाग	817	155	2221409	2253766 4080017	ई-403समता कालोनी, रायपुर
श्री विकास शील सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें तथा मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	164		2221164 4080285	2881090	डी-1/7, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री सुब्रत साहू सचिव, छ.ग. शासन खेल एवं युवा कल्याण,संस्कृति, पर्यटन विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल	269	269	2221275 4080269 2221271 फै.		
श्री विजयेन्द्र सचिव, छ.ग. शासन, वित्त तथा योजना विभाग	333	333	2221333	2422627 9424203796	सी-1 पहुना गेस्ट हाऊस के पीछे, रायपुर
श्री नारायण सिंह सचिव, छ.ग. शासन, ग्रामोद्योग तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संचालक ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक हस्तशिल्प विकास बोर्ड	255	255	4080255 2221255	2331046	सी-2 / 20 आनंद नगर, रायपुर
श्री बी. एल. अग्रवाल राजस्व मंडल सदस्य	-	252	-	-	मयूर भवन, न्यू टिम्बर मार्केट, फाफाडीह, रायपुर
श्री आर. एस. विश्वकर्मा सचिव, छ.ग. शासन,खनिज साधन एवं विमानन विभाग मंत्रालय रायपुर	254	-	4080254	2881002	डी-1/ 18 देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री दिनेश श्रीवास्तव सचिव, छ.ग. शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	-	147	4031850 2221147	9424206700	डी-2/ देवेन्द्र नगर, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री एस. के. बेहार सचिव, छ.ग. शासन,महिला बाल विकास एवं आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण	522	149	408522	-	
श्रीमती निधि छिब्बर सचिव (पी), छ.ग. शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री	441	204 ए	4265441 2221147	2881811	डी-1/7 देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री प्रदीप पंत सचिव, छ.ग. शासन,खाद्य विभाग	-	-	2420238	2880044	डी-2/ देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री ए. एन. उपाध्याय सचिव, छ.ग. शासन,गृह विभाग	-	331	2221331 4080950	9425210344	पुलिस ऑफिसर मेस, रायपुर
छत्तीसगढ़ के प्राधिकरण					
श्री बेदूराम कश्यप उपाध्यक्ष- बस्तर एवं द. क्षेत्र आदि. वि. प्राधिकरण	-		94252-62365		एफ-3 विधायक विश्रामगृह अयोध्या परिसर, रायपुर
श्रीमती रेणुका सिंह उपाध्यक्ष - सरगुजा एवं उ. क्षेत्र आदि. वि. प्राधिकरण	-		94252-15385 07775-233687		सी-1, ई.ए.सी. कॉलोनी रायपुर

सदस्य सूची छत्तीसगढ़ विधानसभा

सदस्य का नाम/ निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक तथा नाम	संबंधित दल	सदस्य के अतिरिक्त अन्य स्थिति	स्थायी पता व दूरभाष	रायपुर का पता व दूरभाष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जिला - कोरिया				
श्री फूल चन्द सिंह 01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)	भाजपा		ग्राम पो. भगवानपुर तहसील भरतपुर जिला-कोरिया (छ.ग.)	27/ 145, वसुंधरा सदन के पास न्यू शांति नगर, रायपुर
श्री दीपक कुमार पटेल 02- मनेन्द्रगढ़	भाजपा		बड़ा बाजार, चिरमिरी पो. चिरमिरी जिला-कोरिया (छ.ग.)	
श्री भईयालाल राजवाड़े 03- बैकुंठपुर	भाजपा	संसदीय सचिव	अलीसाय ग्राम, सरडी पो. चरचा कालरी जिला-कोरिया (छ.ग.)	सी-2, वन परिसर, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जिला - सरगुजा				
सुश्री रेणुका सिंह 04- प्रेमनगर	भाजपा	उपाध्यक्ष, सरगुजा विकास प्राधिकरण	1, परशुरामपुर, तह- सूरजपुर जिला-सरगुजा 2. ग्राम, पोस्ट व तह.- रामानुजनगर,जि.-सरगुजा	बी5/6, मेडिकल कॉलेज परिसर देवेन्द्र नगर, रायपुर
☆ - 05-भटगांव	-		-	
श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम 06- प्रतापपुर (अ.ज.जा.)	भाराकां		भोला भवन, ग्राम अमनदोन पो. तह, प्रतापपुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)	1 ए-2 विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री रामविचार नेताम 07- रामानुजगंज (अ.ज. जा.)	भाजपा	माननीय मंत्री	ग्राम पो. सनबाल विकास. -रामचन्द्रपुर, तह.-पाल जिला- सरगुजा (छ.ग.)	सी-3 सिविल लाईन्स सर्किट हॉऊस के बाजू में रायपुर
श्री सिद्धनाथ पैकरा 08- सामरी (अ.ज.जा.)	भाजपा	संसदीय सचिव	अंबिकापुर, चोपड़ा पारा, अंबिकापुर,सरगुजा	आई-5, विधायक विश्रामगृह, अयोध्या परिसर , रायपुर
श्री रामदेव राम 09- लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)	भाराकां		ग्राम गगोली, पो. पटोरा तह. लुण्ड्रा जिला- सरगुजा (छ.ग.)	सी- 4, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री टी. एस. सिंहदेव 10- अंबिकापुर	भाराकां		कोठीघर, अस्पताल रोड, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	एफ-13, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर
श्री अमरजीत भगत 11- सीतापुर (अ.ज.जा.)	भाराकां		केनाबाध, बौरीपारा शिव मंदिर के पास, अंबिकापुर जिला- सरगुजा	सी-6, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
जिला -जशपुर				
श्री जगेश्वर राम भगत 12- जशपुर (अ.ज.जा.)	भाजपा		ग्राम पो. कोमड़ो तह. व जिला - जशपुर (छ.ग.)	ई-5, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री भरतसाय 13- कुनकुरी (अ.ज.जा.)	भाजपा	संसदीय सचिव	ग्राम-मुंडाडीह पो. भगौरा, तह. कुनकुरी जिला-जशपुर (छ.ग.)	डी-4, वन कालोनी रायपुर
श्री रामपुकार सिंह 14- पत्थलगांव (अ.ज.जा.)	भाराकां		ग्राम- पत्थलगांव तह. पत्थलगांव जिला-जशपुर (छ.ग.)	ए-1, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
जिला - रायगढ़				
श्री हृदयराम राठिया 15- लैलुंगा (अ.ज.जा.)	भाराकां		ग्राम पो. कुर्रा तह. लैलुंगा जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सी-7, विधायक विश्राम गृह, पंकज विक्रम परिसर रायपुर

☆ भटगाँव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के श्री रविशंकर त्रिपाठी निर्वाचित हुए थे जिनका निधन एक सड़क दुर्घटना में हो जाने से यह स्थान रिक्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डॉ. शक्राजीत नायक 16- रायगढ़	भाराकां		आवास क्र. 4, गंजानदपुरम कोतरा रोड, रायगढ़	ई-2, सिंचाई कालोनी पंचशील नगर, रायपुर
श्रीमती पदमा घनश्याम मनहर 17- सारंगढ़ (अ.जा.)	भाराकां		ग्राम-रानीसागर तह. सारंगढ़ जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	ए-4,विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री नंदकुमार पटेल 18- खरसिया	भाराकां		ग्राम पो. नन्देली, तह. व जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	डी-1/2 देवेन्द्र नगर, ऑफिसर्स कालोनी रायपुर
श्री ओमप्रकाश राठिया 19 - धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)	भाजपा	संसदीय सचिव	ग्राम पो. बाकारूमा धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सी-4, फॉरेस्ट कालोनी रायपुर
जिला - कोरबा				
श्री ननकीराम कंवर 20- रामपुर (अ.ज.जा.)	भाजपा	माननीय मंत्री	ग्राम बंधवाभाठा, पो. सरगबुंदिया, करतला हा. मु. रानी रोड, कोरबा (छ.ग.)	बी-5, जेल रोड, रायपुर
श्री जयसिंह अग्रवाल 21- कोरबा	भाराकां		शांति निवास, अग्रसेन भवन के सामने, कोरबा, तह. व जिला- कोरबा (छ.ग.)	
श्री बोधराम कंवर 22- कटघोरा	भाराकां		मु. पो. हरदी बाजार, तहसील पाली, जिला- कोरबा (छ.ग.)	सी-1 विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री रामदयाल उइके 23- पाली तानाखार (अ.ज.जा.)	भाराकां		सी-32, परिजात कालोनी नेहरू नगर, बिलासपुर	बी-3, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
जिला - बिलासपुर				
श्री अजीत जोगी 24- मरवाही (अ.ज.जा.)	भाराकां		जोगी निवास, पेण्ड्रा रोड, (गौरेला) तह. पेण्ड्रा रोड, जिला - बिलासपुर	अनुग्रह, सागौन बंगला कटोरा तालाब, रायपुर
डॉ. श्रीमती रेणु जोगी 25- कोटा	भाराकां		जोगी निवास, पेण्ड्रा रोड, (गौरेला) तह. पेण्ड्रा रोड, जिला - बिलासपुर	अनुग्रह, सागौन बंगला कटोरा तालाब, रायपुर
श्री धर्मजीत सिंह 26- लोरमी	भाराकां		मातोश्री, विकास नगर, 27 खोली, बिलासपुर जिला - बिलासपुर (छ.ग.)	एफ-2, सिविल लाईन्स, रायपुर
श्री पुन्नूलाल मोहिले 27 - मुंगेली (अ.जा.)	भाजपा	माननीय मंत्री	ग्राम व पोस्ट दशरंगपुर, थाना-मुंगेली, जिला - बिलासपुर	सी-01, फारेस्ट कालोनी रायपुर

	(1)	(2)	(3)	(4) (5)
श्री राजू सिंह क्षत्रिय 28- तखतपुर	भाजपा		ग्राम सांगडबरा, पोस्ट-पुरा तह-तखतपुर, जिला - बिलासपुर	एच-3,विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री धरमलाल कौशिक 29- बिल्हा	भाजपा	माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा	मुकाम परसदा, पो. तिफरा, तह. व जिला - बिलासपुर 07752- 252111 फैक्स	स्पीकर हाऊस ए-1, शंकर नगर, सिविल लाईन्स रायपुर 0771- 2331028 नि.
श्री अमर अग्रवाल 30- बिलासपुर	भाजपा	माननीय मंत्री	सिविल लाईन्स, राजेन्द्र नगर, जिला - बिलासपुर	सी- 4, सिविल लाईन्स, रायपुर
श्री बद्रीधर दीवान 31- बेलतरा	भाजपा		किलावार्ड, लाईब्रेरी के पास जूना - बिलासपुर	सी-5, वन कालोनी, राजातालाब, रायपुर
डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी 32- मस्तूरी (अ.जा.)	भाजपा		मसानगंज बौदाबाड़ा बिलासपुर जिला- बिलासपुर	सी-2 , शंकर नगर,
जिला - जांजगीर-चांपा				
श्री सौरभ सिंह 33- अकलतरा	बसपा		अजंता उद्योग परिसर मु.पो. अकलतरा जिला - जांजगीर-चांपा	जी-5, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री नारायण चंदेल 34- जांजगीर चांपा	भाजपा		रेल्वे स्टेशन चौक, मु.पो. जांजगीर नैला जिला - जांजगीर-चांपा	ई-01, ई.ए.सी.कालोनी रायपुर मो.94252-20221 मो. 98936-34127
श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर 35- सक्ती	भाराकां		झूलकदम पोस्ट सक्ती जिला - जांजगीर-चांपा	ए-3, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर रायपुर
श्री युद्धवीर सिंह जूदेव 36- चन्द्रपुर	भाजपा	संसदीय सचिव	विजय विहार बांकी टोली जशपुर नगर, जिला - जशपुर	सी-01, एनआईटी कैम्पस, रायपुर
श्री महंत रामसुन्दर दास 37- जैजैपुर	भाराकां		श्री शिवरीनारायण मठ शिवरीनारायण जिला- जांजगीर-चांपा	श्री दूधाधारी मठ मठपारा, रायपुर
श्री दूजराज बौद्ध 38- पामगढ़ (अ.जा.)	बसपा		ग्राम पोस्ट कोसीर, तहसील पामगढ़, जिला - जांजगीर-चांपा	जी-6, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
जिला - महासमुंद				
डॉ. हरिदास भारद्वाज 39- सरायपाली (अ. जा.)	भाराकां		ग्राम पतेरापाली, पोस्ट सरायपाली, जिला- महासमुंद	एफ-2,विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह 40- बसना	भाराकां		राजमहल सरायपाली जिला - महासमुंद	
श्री परेश बागबाहरा 41- खल्लारी	भाराकां		121, तेन्दूलोथकला बाबू सागरचन्द वार्ड डबरापारा बागबाहरा, जिला - महासमुंद	ए-6, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, शैलेन्द्र नगर, रायपुर
श्री अजि चन्द्राकर 42- महासमुंद	भाराकां		मकान नं. 90 रेलवे स्टेशन रोड, पो.व तह. महासमुंद जिला - महासमुंद	ए-5, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर शैलेन्द्र नगर, रायपुर
जिला - रायपुर				
डॉ. शिवकुमार डहरिया 43- बिलाईगढ़ (अ.जा.)	भाराकां		पहंदा छोटा नहर के पास पलारी, जिला- रायपुर	1, सी-3, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री राजकमल सिंघानिया 44- कसडोल	भाराकां		मंजूषा, मकान नं. 16/480 सिविल लाईन्स, रायपुर	एच-5, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री मती लक्ष्मी बघेल 45- बलौदाबाजार	भाजपा		ग्राम लीमाही पो.व तह. बलौदाबाजार जिला - रायपुर	बी-4, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री चैतराम साहू 46- भाटापारा	भाराकां		लक्ष्मी सदन, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड भाटापारा जिला - रायपुर	डी-4, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री देवजी भाई पटेल 47 - धरसींवा	भाजपा		1, मकान नं. 38 ग्रा. बेंदरी विकासखण्ड धरसींवा जिला - रायपुर	ई-2, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर रायपुर
श्री नंदकुमार साहू 48- रायपुर (ग्रामीण)	भाजपा		साहू पारा ग्राम बोरियाकला पोस्ट- सेजबहार तह. व जिला - रायपुर	जी-3, विधायक विश्राम गृह, रायपुर
श्री राजेश मूणत 49- रायपुर नगर (पश्चिम)	भाजपा	माननीय मंत्री	जवाहर नगर, रायपुर	सी- 8, सिविल लाईन्स, रायपुर
श्री कुलदीप सिंह जुनेजा 50- रायपुर नगर (उत्तर)	भाराकां		साईं नगर फाफाडीह जिला- रायपुर	
श्री बृजमोहन अग्रवाल 51- रायपुर नगर (दक्षिण)	भाजपा	माननीय मंत्री	रामसागर पारा, रायपुर	बी-5/1, शंकर नगर, रायपुर
श्री गुरू रूद्र कुमार 52- आरंग (अ.जा.)	भाराकां		23/1786, पंडरी तराई, लोधी पारा चौक, रायपुर परिसर, रायपुर	ए-7, विधायक विश्राम गृह, पंकज विक्रम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्री चन्दशेखर साहू चम्पू 53- अभनपुर	भाजपा	माननीय मंत्री	1. ग्राम मानिकचौरी, तह. अभनपुर जिला- रायपुर 2. एच.आई. जी. सी-30, से.-1, देवेन्द्र नगर, रायपुर	बी-5/10, शंकर नगर, रायपुर
श्री अमितेष शुक्ल 54- राजिम	भाराकां		शंकर नगर खमारडीह, रायपुर 0771- 2285171	
श्री डमरूधर पुजारी 55- बिन्द्रा नवागढ़	भाजपा		ग्राम मुनगापदर, पो.उरमाल तह. मैनपुर, जिला - रायपुर	ई- 6 विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
जिला - धमतरी				
श्रीमती अंबिका मरकाम 56- सिहावा (अ.ज.जा.)	भाराकां		ग्राम पो. गट्टा, सिल्ली, तहसील नगरी, जिला - धमतरी	एफ-1, डाईट कालोनी रायपुर
श्री लेखराम साहू 57- कुरूद	भाराकां		मकान नं. 163, कला मंच चौक, उत्तर ग्राम सिलोटी तह. कुरूद, जिला धमतरी	डी-3, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री गुरूमुख सिंह होरा 58-धमतरी	भाराकां		बठेना चौक सानिध्य भवन, मेन रोड, धमतरी	डी-2/38, देवेन्द्र नगर, रायपुर
जिला - दुर्ग				
श्री मदनलाल साहू 59- संजारी बालोद	भाजपा		ग्राम पोस्ट अमरीकला तह. गुरूर जिला - दुर्ग	ई-4, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम 60, डौंडी लोहारा (अ.ज.जा.)	भाजपा		राजभवन लक्ष्मीदेवी वार्ड, जिला - दुर्ग	बी-5, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री वीरेन्द्र कुमार साहू 61- गुण्डरदेही	भाजपा		गोटियापारा ग्राम व पोस्ट बलोंदी थाना रनचिरई तह. गुण्डरदेही, जिला-दुर्ग	ई-3, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री विजय बघेल 62- पाटन	भाजपा	संसदीय सचिव	सेक्टर-5, भिलाई नगर, 7 बी, सड़क 38, सेक्टर 5 जिला - दुर्ग	डी-04, सिविल लाईन्स, रायपुर
श्रीमती प्रतिभा चन्द्राकर 63- दुर्ग ग्रामीण	भाराकां		1. प्रतिरूप मालवीय नगर, दुर्ग, जिला - दुर्ग 2. स्टेशन रोड दुर्ग	बी-1. विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री हेमचंद यादव 64- दुर्ग शहर	भाजपा	माननीय मंत्री	वार्ड क्र. 5, बैगापारा दुर्ग जिला - दुर्ग	डी-1, मधुपिल्ले चौक, शांति नगर, रायपुर
श्री बदरूद्दीन कुरैशी 65- भिलाई नगर	भाराकां		6/32 बंगला भिलाई नगर जिला - दुर्ग	एच-1, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री भजन सिंग निरंकारी 66- वैशाली नगर	भाराकां			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा 67- अहिवारा (अ.जा.)	भाजपा		118, जवाहर नगर, दुर्ग पोस्ट मोहन नगर, जिला - दुर्ग	एच-4, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री रविन्द्र चौबे 68- साजा	भाराकां	माननीय नेता प्रतिपक्ष	ग्राम मोहाभाटा, पोस्ट मोहगांव, तह. साजा जिला - दुर्ग	सी-5, शांति नगर, रायपुर
श्री ताम्रध्वज साहू 69- बेमेतरा	भाराकां		मीनाक्षी नगर, बोरसी रोड, दुर्ग, जिला - दुर्ग	एफ-2, पंचशील नगर, रायपुर
श्री दयालदास बघेल 70- नवागढ़ (अ.जा.)	भाजपा	माननीय मंत्री	ग्राम पोस्ट कुर्रा, तह. नवागढ़, जिला-दुर्ग	सी-1, ई.ए.सी. कालोनी रायपुर
जिला - कबीरधाम				
श्री मोहम्मद अकबर 71- पंडरिया	भाराकां		के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर, जिला - रायपुर	1. एफ-1, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
डॉ. सियाराम साहू 72- कवर्धा	भाजपा	संसदीय सचिव	ग्राम बिकोना पोस्ट धरमपुरा तह. कवर्धा, जिला - कबीरधाम	ऑफिसर्स कॉलोनी ई -2/ 18 शांतिनगर, रायपुर
जिला - राजनांदगांव				
श्री कोमल जंघेल 73, खैरागढ़	भाजपा	संसदीय सचिव	ग्राम घिरघौली, पोस्ट तह. छुईखदान, जिला - राजनांदगांव	सी -1/10 आनंद नगर, रायपुर
श्री रामजी भारती 74- डोंगरगढ़ (अ.जा.)	भाजपा		ग्राम तेन्दुभाठा, पोस्ट-मोहरा तह. डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव	जी-2, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
डॉ. रमन सिंह 75- राजनांदगांव	भाजपा	माननीय मुख्यमंत्री	रमन मेडिकल स्टोर्स मेनरोड, कवर्धा जिला - कबीरधाम	मुख्यमंत्री निवास, रायपुर
श्री खेदूराम साहू 76- डोंगरगढ़	भाजपा		ग्राम व पोस्ट लाल बहादुर नगर, तह- डोंगरगढ़ जिला - राजनांदगांव	डी-1, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर रायपुर
श्री भोलाराम साहू 77- खुज्जी	भाराकां		ग्राम व पोस्ट खुज्जी, तह. - डोंगरगांव जिला - राजनांदगांव	डी-5, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर रायपुर
श्री शिवराज सिंह उसारे 78- मोहला मानपुर (अ.ज.जा.)	भाराकां		ग्राम व पोस्ट भर्रीटोला तह. मानपुर. जिला - राजनांदगांव	डी-2, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर				
श्री विक्रम उसेण्डी 79- अंतागढ़ (अ.ज.जा.)	भाजपा	माननीय मंत्री	ग्राम घोटुलबेड़ा, पोस्ट गोदानार तह. अंतागढ़ जिला - उत्तर बस्तर काकेर	सी-3, सिविल लाईन शंकर नगर, रायपुर
श्री ब्रम्हानंद 80- भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)	भाजपा		ग्राम कसावाही, पोस्ट डोकला, तह.-चारामा, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर	एफ-6, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्रीमती सुमित्रा मारकोले 81- कांकेर (अ.ज.जा.)	भाजपा		ग्राम -पेण्डरावन पोस्ट अभनपुर, तह. नरहरपुर, उत्तर बस्तर कांकेर	बी-2, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर रायपुर
जिला - जगदलपुर (बस्तर)				
श्री सेवकराम नेताम 82- केशकाल (अ.ज.जा.)	भाजपा		ग्राम मैनपुर,पो.-विश्रामपुरी तह. बड़ेराजपुर,जि.-बस्तर	डी-6, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
सुश्री लता उसेण्डी 83- कोण्डागांव (अ.ज.जा.)	भाजपा	माननीय मंत्री	गुप्ता चौक सरगीपाल, वार्ड व तह. कोंडागांव जिला - बस्तर	ई-25, 26, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री केदारनाथ कश्यप 84- नारायणपुर (अ.ज.जा.)	भाजपा	माननीय मंत्री	ग्राम- भानपुरी (फरसागुड़ा) पोस्ट- भानपुरी जिला - बस्तर	सी-3, फारेस्ट कालोनी, राजातालाब, रायपुर
डॉ. सुभाऊ कश्यप 85- बस्तर (अ.ज.जा.)	भाजपा		ग्राम- उपनपाल, पोस्ट- नगरनार, तह. जगदलपुर जिला - बस्तर	एफ-4,विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री संतोष बाफना 86- जगदलपुर	भाजपा		नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड मेन रोड, सदर स्कूल के सामने, जगदलपुर	आई-2, विधायक विश्राम गृह, शैलेन्द्र नगर, रायपुर
श्री बैदुराम कश्यप 87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)	भाजपा	उपाध्यक्ष बस्तर व दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	ग्राम-बड़ेमोरठपाल पोस्ट- कूरेगा, तह.तोकापाल जिला - बस्तर	एफ-3,विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
श्री भीमा मण्डावी 88- दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)	भाजपा		ग्राम - गदापाल तह - दंतेवाड़ा	एफ-5,विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर
जिला - नारायणपुर				
श्री महेश गागड़ा 89- बीजापुर (अ.ज.जा.)	भाजपा	संसदीय सचिव	ग्राम व तह. भैरमगढ़, जिला - बीजापुर	डी-7, शंकर नगर, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		जिला - दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा		
श्री कवासी लखमा 90- कोन्टा (अ.ज.जा.)	भाराकां		ग्राम- नागारास, पोस्ट- सोनाकुकानार, तह.- कोन्टा जिला - दंतेवाड़ा	सी-5, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर

मुख्य सचिव कार्यालय

नाम एवं पदनाम	पी बी एक्स	कक्ष क्रमांक	कार्यालय दूरभाष	निवास दूरभाष	निवास का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री पी. जॉय उम्मेन मुख्य सचिव	207	207	2221207 2221208 4080207 2221206 फै.	4050977 2881004 मो. 98266-22633	सी-1/5 देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री सुनील [illegible] [illegible]	206	206	2221208 4080207 2221207	96696-85278	एम.आई.जी.-2 मेघ मल्हार परिसर, वीर सावरकर नगर, हीरापुर
श्री आर.के. [illegible] अनुभाग अधिकारी	-	205	4080730	4269342 मो. 96264-23917	एच.आई.जी.-118 विजेता काम्पलेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर
श्री प्रदीप [illegible] निज सचिव	-	206	2221208 4080207 2221207	2282145 मो. 97521-52087	सी-16, वी.आई.पी. स्टेट खम्हारडीह, रायपुर
श्री डी.एस. शर्मा निज सचिव		206	2221208 4080208 2221207	मो. 94242-27281	म.नं.-8 चंगोरा भांठा, रायपुर

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं विभागीय आयोग

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कक्ष क्रमांक	पी.बी. एक्स	कार्यालय दूरभाष	निवास दूरभाष/मो.	निवास स्थान का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्री आर.पी. मंडल सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनु. जाति वि.वि.	261	261	4080261	2883738	सी/1-6 आफिसर्स कॉलोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री बी.एस. अनंत आयुक्त आदिम जाति तथा अनु. जाति वि. एवं संचालक, आदिम जाति तथा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	-	-	2263708	2881466 2262558 (फै.)	ई-1/1 आफिसर्स कॉलोनी, देवेन्द्र नगर,
डॉ. अनिल चौधरी उप सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनु. जाति वि.वि.	707	138	4080707	94255-84660	एच.आई.जी.-316 विवेता कॉम्प्लेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर
श्री एल.आर. कुर्रे सचिव छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	-	-	2420352	94242-80608	(कार्यालय का पता) - सी-21, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर
श्री एच.के. सिंह उइके सचिव छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग	-	-	2422747	94242-16008	(कार्यालय का पता) - साक्षरता चौक, सिविल लाईन, रायपुर
श्री पवन नेताम सचिव छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	-	-	2445621	94242-80691	(कार्यालय का पता) - 61, जल विहार कॉलोनी, रायपुर
श्री एम.आर. खान सचिव छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग,	- -	- -	2445621 2424809	-	(कार्यालय का पता)- MLA गेस्ट हाऊस के पीछे, शैलेन्द्रनगर, रायपुर

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्पित हितप्रहरी
हमारे मार्गदर्शक

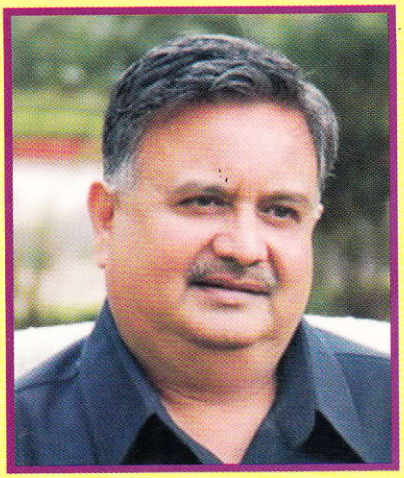

मान. डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

मान. केदार कश्यप
मंत्री
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
छत्तीसगढ़

मान. महेश गागड़ा
संसदीय सचिव
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छत्तीसगढ़

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

21, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन : 0771–2420352